प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबन्धक,
गेल (इण्डिया) लिमिटेड,
नोएडा, उत्तरप्रदेश।

पत्र संख्या-518 तेरह/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 26 अप्रैल, 2020

विषयः– **कोविड–19 हॉस्पिटल हेतु वेन्टिलेटरएवं कार्डियैक एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या– 472/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 22.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्र्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। फलस्वरूप भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस (CoVID- 19) को आपदा के रूप मे़ं अधिसूचित किये जाने के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय में व्यापक चिकित्सा सुविधायें स्थापित की जानी है।

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम तथा संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में कोविड–19 चिकित्सालय बनाया गया है। उक्त कोविड हॉस्पिटल के संसाधनों में वृद्दि के दृष्टिगत एक कार्डियैक एम्बुलेंस की भी नितान्त आवश्यकता है।

अतः उक्त के क्रम आप कोविड–19 संक्रमण/महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी हेतु **01 बड़ा वेन्टिलेटर के साथ ही 01 कार्डियैक एम्बुलेंस** आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये सी0एस0आर0 मद अन्तर्गत पूर्व में प्रेषित योजनाओं हेतु निर्गत धनराशि से यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 203/41/CPPGG दिनांक 21.04.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा श्री इन्दु कुमार पाण्डे, आई0ए0एस0 (से0नि0) की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड की आर्थिकी एवं आजीविका के सुदृढ़ीकरण की सम्भावनाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु समिति का गठन किया गया है।

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में 23 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 तक लॉक–डाउन किया गया है। उक्त अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त गठित समिति को उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को यथा शीघ्र सुचारू एवं सुदृढ़ करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत है।

उक्त के क्रम में जनपद स्तर पर वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में विभागवार सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घकालिक प्रभाव तथा उनके न्यूनीकरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की जाती है–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।
2. श्री सुनील मोहन कृष्णन, जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड परियोजना उत्तरकाशी।
3. श्री प्रकाश खत्री, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. श्री विमल कुमार, अपर परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
5. श्री यू0के0 तिवारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।
6. श्री चक्रपाणी मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

श्री बी0एस0 तोमर, जिला लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी को उपरोक्त गठित समिति के परामर्शदाता के रूप में नामित किया जाता है। अतः उपरोक्त समिति को निर्देश दिये जाते है कि यथाशीघ्र वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन से आम जनमानस के आजीविका एवं आर्थिकी पर पड़े प्रभाव तथा उसके अतिशीघ्र सामान्य स्थिति में लाये जाने के साथ–साथ सुदृढ़ीकरण करने हेतु जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त का अध्ययन करते हुये उपरोक्तानुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–523/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 27 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः–1 उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यों एवं सम्बन्धितों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–2 जनपद स्तरीय सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या– 529/तेरह/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28 अप्रैल, 202

1. उप जिलाधिकारी,
   भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।

2. जिला पूर्ति अधिकारी,
   उत्तरकाशी।

विषयः– **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खाद्यान्न पैकेट वितरण के सम्बन्ध में।**

उपुर्यक्त विषयक आप अवगत है कि असंगठित क्षेत्र के जरूरतमंद मजदूरों/श्रमिकों जो कोविड–19 के दृष्टिगत किये गये लॉक–डाउन के कारण जनपद में रूके है, उन्हें खाद्यान्न पैकेट का निःशुल्क वितरण आपके स्तर से किया जा रहें है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 20.04.2020 से गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कतिपय शर्तों के साथ निर्माण गतिविधियों में शिथिलिता प्रदान की गयी है। लगाई गयी रोक को हटा दिया गया है। निर्माण गतिविधियों से रोक हटाये जाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होना प्रारम्भ हो गया है। उक्त के दृष्टिगत यह अवश्यक है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सम्बन्ध में पुनः सर्वेक्षण किया जाय और जिन श्रमिकों को निर्माण गतिविधियों में रोजगार प्राप्त हो गया है उन्हें सूचीबद्ध किया जाय।

अतः उक्त के क्रम में आप अविलम्ब कोविड–19 लॉक–डाउन में जनपद में रूके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जिन्हें स्थानीय स्तर पर निर्माण एवं अन्य गतिविधियों में रोजगार प्राप्त हो गया है को सूचीबद्ध करते हुये उन्हें भविष्य में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के औचित्य पर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–528/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28 अप्रैल, 202

1. अध्यक्ष,
   श्री गंगोत्री मन्दिर समिति,
   गंगोत्री उत्तरकाशी।

2. अध्यक्ष,
   श्री यमुनोत्री मन्दिर समिति,
   यमुनोत्री, बडकोट।

विषयः– **श्री गंगोत्री एंव यमुनोत्री मन्दिरों में श्रद्धालुओं से पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान न करवाये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में 23 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 तक लॉक–डाउन किया गया है। सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2020 एवं तत्पश्चात समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं निर्देशों के क्रम में लॉक डाउन अवधि में सभी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समारोह पर रोक लगाई गयी है।

जनपद के श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम दिनांक 26.04.2020 को ग्रीष्मकालीन परम्परानुसार नैत्यिक अनुष्ठान हेतु खोले गये है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार तथा राज्य सरकार से इन धामों के सम्बन्ध में अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक उक्त धाम में मॉ गंगा तथा मॉ यमुना की नैत्यिक अनुष्ठान कार्य अति सीमित संख्या में केवल तीर्थ पुरोहितों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। नैत्यिक अनुष्ठान हेतु आवश्यक तीर्थ पुरोहितों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, पर्यटक अथवा श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा हेतु सम्मिलित होना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

अतः उक्त के क्रम में आप लॉक–डाउन अवधि में श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम में केवल अति सीमित तीर्थ पुरोहितों द्वारा ही मां गंगा एवं मां यमुना की नैत्यिक अनुष्ठान कार्य करवाना सुनिश्चित करें। कोविड–19 के दृष्टिगत किसी भी दशा में श्रद्धालुओं/पर्यटकों/स्थानीय व्यक्तियों आदि से पूजा/धार्मिक अनुष्ठान न कराये जाय। तीर्थ पुरोहितों द्वारा भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क, सेनेटाईजर आदि का अनिवार्यतः उपयोग किया जायेगा।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी की सेवा में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्रांकः- 562 तेरह-आ0प्र0प्राधि0/कोविड-2020-21/ दिनांक मई 12 ,2020

प्रतिलिपिः-1. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त गठित ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीमों द्वारा प्रेषित प्रत्येक ग्राम की आख्या को संकलित करते हुये इनका विस्तृत विश्लेषण कर कन्ट्रोल रूम एवं वार रूम को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार दैनिक सूचना को सुव्यवस्थित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

8. समस्त चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद उत्तरकाशी।

9. समस्त तहसीलदार उत्तराकाशी।

10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी एंव उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. सहायक निदेशक- दुग्ध एवं डेयरी विकास, उत्तरकाशी।

12. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (कोविड-19) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में पूर्व में समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय वर्कर एंव अध्यापकों की नियुक्ति की गई, जिनके द्वारा जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में घर-घर जाकर सूचना संकलित कर तैयार की गई। अत: जनपद में पूर्व में गठित ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीमों की तैनाती यथावत रखते हुए समस्त ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीमों को निर्देश दिये जाते है कि वह जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित ग्रामों में घर-घर जाकर सूचना संकलित कर तैयार करेंगे। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधान उक्त कार्य में टीम को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु एक पंजिका तैयार की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व टीम प्रभारी सम्बन्धित अध्यापक का होगा। अध्यापकों द्वारा प्रतिदिन संलग्न प्रारूप पर विकास खण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम में 3.00 बजे अपराह्न तक अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कन्ट्रोल रूम नम्बर	कन्ट्रोल रूम प्रभारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	भटवाडी	8979487650, 9758428866	श्रीमती हेमलता गौड	उप शिक्षा अधिकारी	9411747475
2	डुण्डा	7895905540	श्रीमती हर्षा रावत	उप शिक्षा अधिकारी	9410378414
3	चिन्यालीसौड	7818842235	श्री कृपाल सिंह चौहान	उप शिक्षा अधिकारी	9557115335
4	नौगांव	9568638480, 01375-245288	श्री अमित चौहान	उप शिक्षा अधिकारी	7895014434
5	पुरोला	7983031829	श्री चतर सिंह चौहान	उप शिक्षा अधिकारी	9068415667
6	मोरी	8859190066, 9368631492	श्री जे0पी0 काला	उप शिक्षा अधिकारी	9411723209

उप शिक्षा अधिकारियों के मोबाइल नम्बर भी कन्ट्रोल रूम के नम्बर के रूप में प्रयोग में लाये जायेगें। उपरोक्त विकास खण्ड स्तर पर तैनात कन्ट्रोल रूम के अधिकारी, दैनिक आख्या संलग्न प्रारूप पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में गठित टीम को Whats. app No. -9412150405 (श्री यशपाल सिह भण्डारी, जिला संदर्भ व्यक्ति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)अथवा Email-cvouttarkashi@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे। सहायक नोडल अधिकारी, श्री अभिनव नौटियाल सहायक निदेशक- दुग्ध एवं डेयरी विकास तथा सहायक नोडल श्री सचिन कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी विकास खण्ड से प्राप्त सूचना को संकलित कर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

<u>संलग्नः- प्रारूप एंव कार्मिका की सूची</u> ।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः...........2

Scanned with CamScanner

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या– 561/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 02 मई ~~अप्रैल~~, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख चिकित्साधिक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वा0 के0, नौगांव/बडकोट/पुरोला/चिन्यालीसौड।
7. जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रत्येक संस्थागत संगरोध सेन्टर में 02–02 पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त क्वारन्टाइन सेन्टर की साफ–साफाई एवं सेनेटाइजेशन हेतु स्वच्छक कार्मिकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
10. प्रबन्धक, कैलाश आश्रम, उजेली उत्तरकाशी।
11. प्रबन्धक, बिरला धर्मशाला उत्तरकाशी।
12. प्रबन्धक, कालीकमली धर्मशाला,उत्तरकाशी।
13. प्रबन्धक, पंजाब सिंध क्षेत्र, उत्तरकाशी।
14. प्रबन्धक, शिवानन्द आश्रम, नेतला, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत क्वारन्टीन प्राटोकॉल के अनुसार बाहरी जनपदों से उत्तरकाशी आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिये विभिन्न संस्थागत क्वारंटीन में रखा जा रहा है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों तक क्वारन्टीन सेन्टर में रखे जाने जाने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 की धारा 65 एवं Epidemic Disease act 1897 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों का प्रयोग करते हुये जनपद अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार आश्रम/धर्मशालाओं को उनसे प्राप्त सहमति के क्रम में निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें प्रशासन द्वारा किये जाने के आधार पर संस्थागत संगरोधन के उपयोगार्थ दिनांक 02.05.2020 से अग्रिम आदेशों तक अधिगृहीत करते हुये नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

क्रं.सं.	आश्रम/धर्मशाला का नाम	तैनात अधिकारी का नाम/पदनाम	तैनात स्वास्थ्य कार्मिक का नाम
1	कैलाश आश्रम, उजेली उत्तरकाशी।	श्री रंजीत, प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी। 9412922748	डॉ0 अदिति, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
2	बिरला धर्मशाला उत्तरकाशी।	श्री राकेश चौहान, प्रशासनिक अधिकारी, जि0का0, उत्तरकाशी। 9412922838	डॉ0 स्मृति, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
3	कालीकमली धर्मशाला,उत्तरकाशी।	श्री अम्बिका प्रसाद नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी, उप जिलाधिकारी कार्यालय, भटवाडी–9557108106	डॉ0 आशुतोष, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
4	पंजाब सिंध क्षेत्र, उत्तरकाशी।	श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, जि0का0, उत्तरकाशी। 9412984444	डॉ0 आयुष्मा पुरी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5	शिवानन्द आश्रम, नेताला, उत्तरकाशी।	श्री विशन सिंह राणा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जि0का0 उत्तरकाशी–9412922748	डॉ0 विकास, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारियों के निर्देश दिये जाते है कि उक्त संस्थागत संगरोधन में क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत क्वारन्टीन प्राटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उक्त केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे तथा उक्त अधिकारियों को पूर्व में दिये गये दायित्व यथावत रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न की जाय।

संलग्न–क्वारन्टाइन प्रोटोकॉल की प्रति

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

DIOL/nep-2020

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 566 /तेरह–आ0प्रा0वि0/कोरोना/2020 दिनांक– 03 मई, 2020

1. उपमहाप्रबन्धक,
   यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी।
2. अधिशासी अभियंता,
   पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियंता,
   ऊर्जा निगम, उत्तरकाशी/बड़कोट।
4. परियोजना अधिकारी,
   उरेड़ा, उत्तरकाशी।

विषय– करोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्य संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयक सचिव, ऊर्जा, अनुभाग–1 के पत्र संख्या 246/1/05/03/2020 दिनांक 02.05.2020 देहरादून के द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन ऊर्जा निगमों, उरेड़ा, विद्युत सुरक्षा विभाग में करोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्य संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सचिव ऊर्जा से प्राप्त पत्र एवं दिशा–निर्देश की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यो/योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन सावधानी एवं दक्षता के साथ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 566 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक– 03 मई, 2020

1. उपमहाप्रबन्धक,
   यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी।
2. अधिशासी अभियंता,
   पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियंता,
   ऊर्जा निगम, उत्तरकाशी/बड़कोट।
4. परियोजना अधिकारी,
   उरेड़ा, उत्तरकाशी।

विषय– **करोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्य संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

उपरोक्त विषयक सचिव, ऊर्जा, अनुभाग–1 के पत्र संख्या 246/1/05/03/2020 दिनांक 02.05.2020 देहरादून के द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन ऊर्जा निगमों, उरेड़ा, विद्युत सुरक्षा विभाग में करोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्य संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सचिव ऊर्जा से प्राप्त पत्र एवं दिशा–निर्देश की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यो/योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन सावधानी एवं दक्षता के साथ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त परीक्षण केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/त्रुटि न की जाये।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–239/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक03 मई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
19	श्री योगेश कुमार , कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9411751550	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
20	श्री सुमन राणा, डी0ई0ओ0 तहसील चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9411146576	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
21	श्री धीरज कुमार, कनिष्ठ सहायक तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	8273755093	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

परिवहन हेतु–

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
22	श्री जितेन्द्र चन्द, परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी।	9520379234	आगन्तुकों के लिए उनके गांव तक जाने हेतु वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नोडल।
23	भुवनेश गुसांई, कनिष्ठ सहायक, परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	9760789151	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। के निर्देशन में कार्य करें।
24	श्री महवीर राणा, उपनल परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	8171169816	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। वहादुर के निर्देशन में कार्य करें।
25	श्री प्रमोद शुक्ला सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तरकाशी।	7251000170	विकासखण्ड पुरोला क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करते हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
26	श्री दुष्यन्त, सहायक अभियन्ता, धरासू पॉवर हाउस चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9759402410	विकासखण्ड मोरी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम / पदनाम	मो0न0	दायित्व
6	श्री हयात सिंह रौतेला, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9411553571	सम्पूर्ण परीक्षण केन्द्र की सफाई व्यवस्था हेतु नोडल। वाहनों का सेनेटाईजेशन (सेनेटाईजेशन वे हेतु 01 कर्मी मय उपकरण तैनात करेगें), बालिका छात्रावास, शौचालय आदि का सेनेटाईजेशन / फ्यूमीगेशन हेतु 04 कर्मी (समस्त उपकरण यथा झाडू, पोछा, हार्पिक, सोडियम हाईपोक्लोराईट आदि) तैनात करेगें।
7	श्री विनोद कुमार कश्यप, सहायक अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8755076252	बाहरी जनपद / राज्य से आये हुये व्यक्तियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के सेनेटाईजेशन / फ्यूमीगेशन स्थल (व्हीकल सेनेटाईजेशन वे) हेतु नोडल।
8	श्री सुधीर जोशी, ए0डी0ओ0 चिन्यालीसौडा उत्तरकाशी।	8476869728	परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेगें तथा प्रभारी एवं सह प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
9	डॉ सुजाता सिंह, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9411723371	परीक्षण केन्द्र में तैनात समस्त अधिकारी / कार्मिक की कोरोना संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत ON-SITE परीक्षण देगें।
10	सुश्री दृष्टि आन्नद, खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा उत्तरकाशीं।	9456352723	
11	श्री रामेन्द्र कुशवाहा, जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक उत्तरकाशी	9410549727	
12	श्री जितेन्द्र सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक	9410913699	
13	डॉ0 विनोद कुकरेती, एम0ओ0आई0सी0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8126575800	केन्द्र में स्वास्थ्य परीक्षण एव स्क्रीनिंग कार्य हेतु 03 सदस्यीय दल (चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय) की 04 पृथक–पृथक टीम तैनात कर रोस्टर अनुसार संचालन एवं परीक्षण केन्द्र में पर्याप्त ऐम्बुलेन्स, पी0पी0ई0 किट, मास्क, ग्लब्स, आदि हेतु नोडल।
14	श्री बी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी।	9411103541	परीक्षण केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर निर्बाध जलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगें।
15	श्री पोखरियाल, एस0डी0ओ0 यू0पी0सी0एल0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412078860	परीक्षण केन्द्र में स्वंय उपस्थिति रहकर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।
पंजीकरण हेतु–			
16	डॉ0 पंकज नौटियाल, कृषि विज्ञान केन्द्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412394661	केन्द्र में आगमन करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण आदि की व्यवस्था हेतु नोडल।
17	श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9634433677	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
18	श्री कुलदीप राणा, कनिष्ठ अभियंता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	8126285026	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम / पदनाम	मो0न0	दायित्व
27	श्री जय कृष्णा जुयाल, सहायक अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9456537772	विकासखण्ड नोगांव क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
28	श्री अभिनव नौटियाल, सहायक निदेशक डेरी विकास उत्तरकाशी।	9410799831	विकासखण्ड चिन्यालीसौड , आदि क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों हेतु केन्द्र से उनके गांव तक पहुचाने हेतु श्री जिन्तेद्र बहादुर चन्द के साथ केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करेगें एवं गांव तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम उपलब्ध करायेगें। समस्त व्यवस्था एवं सूची तैयार करेगें।
29	श्री राजेश बिजल्वाण सहायक अभियन्ता, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	9639263545	विकासखण्ड डुण्डा क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
30	श्री शैन्की कुमार, सहायक अभियन्ता धरासू पावर हाउस चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8791334800	विकासखण्ड भटवाडी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारियों के निर्देश दिये जाते है कि उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों / जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रवन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फॅसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें संस्थागत अथवा गृह संगरोधन में रखा जायेगा।

उक्त के क्रम में बाहरी जनपद/राज्य से उत्तरकाशी में आगमन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में आगमन केन्द्र (Arrival centre) एवं कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में अग्रिम आदेशों तक निम्न नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
1	श्री सुरेश तोमर अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	7579186700	समस्त व्यवस्थाऐं यथा माइक, साउन्ड, लाईट, बैरिकेडिंग, भोजन एवं रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी।
2	श्री विरेन्द्र सिंह रावत तहसीलदार डुण्डा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	9411331611	परीक्षण केन्द्र में कानून व्यवस्था तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम सहप्रभारी
3	श्री विनोद थपलियाल थानाअध्यक्ष, धरासू उत्तरकाशी।	9411112864	शान्ति व्यवस्था हेतु नोडल। आगमन केन्द्र सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेगें।
4	श्री किशोर कुमार, सहायक अभियंता,यू0जे0वी0एन0एल0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8923914394	परीक्षण केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों एवं बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें तथा परीक्षण केन्द्र स्थित बालिका छात्रावास में रहने, खाने, सफाई आदि व्यवस्था हेतु नोडल।
5	श्री विजयप्रताप भण्डारी, /युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	7251088813	जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड मे सुरक्षा आदि के दृष्टिगत 3 शिफ्ट में 10–10 पी0आर0डी0 जवान की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 570 / तेरह–आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020

दिनांक– 03 मई, 2020

समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– **गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तालाबन्दी की अवधि का विस्तार किये जाने एवं तत्सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 115 / USDMA–792 (2020) दिनांक 02 मई, 2020 के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–DM-I (A) दिनांक 01.05.2020 के क्रम में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 04.05.2020 से 02 सप्ताह के लिए विस्तारित की गयी है। तथा लॉकडाउन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के उपरोक्त आदेश संख्या 40–3 / 2020–DM-I (A) दिनांक 01.05.2020 के आलोक में विभिन्न कार्यालयों की दैनिक कार्य अवधि निर्धारित की गयी है तथा तद्नुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान जनपद में विभिन्न कार्यालयों की दैनिक कार्य अवधि निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की गयी है–

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन के सन्दर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 07:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक सेवायें दे सकेंगे।
2. भारत सरकार के समस्त कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे तथा इनमें गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों का सामाजिक दूरी, मास्क लगाये जाने तथा साफ–सफाई सम्बन्धी एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. समस्त निजी कार्यालय सांय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के सामाजिक दूरी, साफ–सफाई सम्बन्धी निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सांय 4:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक समान्य आवागमन व गैर–आवश्यक क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित होंगे।

अतः शासन के उक्त पत्र के साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की प्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अग्रणी जिला प्रबन्धक, उत्तरकाशी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त परीक्षण केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/त्रुटि न की जाये।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–239/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 03 मई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

क्रं.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
27	श्री जय कृष्णा जुयाल, सहायक अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9456537772	विकासखण्ड नोगांव क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
28	श्री अभिनव नौटियाल, सहायक निदेशक डेरी विकास उत्तरकाशी।	9410799831	विकासखण्ड चिन्यालीसौड , आदि क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों हेतु केन्द्र से उनके गांव तक पहुचाने हेतु श्री जिन्तेद्र बहादुर चन्द के साथ केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करेगें एवं गांव तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम उपलब्ध करायेगें। समस्त व्यवस्था एवं सूची तैयार करेगें।
29	श्री राजेश बिजल्वाण सहायक अभियन्ता, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	9639263545	विकासखण्ड डुण्डा क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
30	श्री शैन्की कुमार, सहायक अभियन्ता धरासू पावर हाउस चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8791334800	विकासखण्ड भटवाडी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारियों के निर्देश दिये जाते है कि उत्तरकाशी मे अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
19	श्री योगेश कुमार , कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9411751550	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
20	श्री सुमन राणा, डी0ई0ओ0 तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9411146576	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
21	श्री धीरज कुमार, कनिष्ठ सहायक तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	8273755093	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

परिवहन हेतु–

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
22	श्री जितेन्द्र चन्द, परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी।	9520379234	आगन्तुकों के लिए उनके गांव तक जाने हेतु वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नोडल।
23	भुवनेश गुसांई, कनिष्ठ सहायक, परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	9760789151	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। के निर्देशन में कार्य करें।
24	श्री महवीर राणा, उपनल परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	8171169816	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। बहादुर के निर्देशन में कार्य करें।
25	श्री प्रमोद शुक्ला सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तरकाशी।	7251000170	विकासखण्ड पुरोला क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करते हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
26	श्री दुष्यन्त, सहायक अभियन्ता, धरासू पॉवर हाउस चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9759402410	विकासखण्ड मोरी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
6	श्री हयात सिंह रौतेला, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9411553571	सम्पूर्ण परीक्षण केन्द्र की सफाई व्यवस्था हेतु नोडल। वाहनों का सेनेटाईजेशन (सेनेटाईजेशन बे हेतु 01 कर्मी मय उपकरण तैनात करेगें), बालिका छात्रावास, शौचालय आदि का सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन हेतु 04 कर्मी (समस्त उपकरण यथा झाड़ू, पोछा, हार्पिक, सोडियम हाईपोक्लोराईट आदि) तैनात करेगें।
7	श्री विनोद कुमार कश्यप, सहायक अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8755076252	बाहरी जनपद/राज्य से आये हुये व्यक्तियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन स्थल (व्हीकल सेनेटाईजेशन बे) हेतु नोडल।
8	श्री सुधीर जोशी, ए0डी0ओ0 चिन्यालीसौडा उत्तरकाशी।	8476869728	परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेगें तथा प्रभारी एवं सह प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
9	डॉ सुजाता सिंह, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	9411723371	परीक्षण केन्द्र में तैनात समस्त अधिकारी/कार्मिक की कोरोना संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत ON-SITE परीक्षण देगें।
10	सुश्री दृष्टि आन्नद, खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा उत्तरकाशी।	9456352723	
11	श्री रामेन्द्र कुशवाहा, जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक उत्तरकाशी	9410549727	
12	श्री जितेन्द्र सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक	9410913699	
13	डॉ0 विनोद कुकरेती, एम0ओ0आई0सी0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8126575800	केन्द्र में स्वास्थ्य परीक्षण एव स्क्रीनिंग कार्य हेतु 03 सदस्यीय दल (चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय) की 04 पृथक–पृथक टीम तैनात कर रोस्टर अनुसार संचालन एवं परीक्षण केन्द्र में पर्याप्त ऐम्बुलेन्स, पी0पी0ई0 किट, मास्क, ग्लब्स, आदि हेतु नोडल।
14	श्री बी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी।	9411103541	परीक्षण केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर निर्बाध जलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेगें।
15	श्री पोखरियाल, एस0डी0ओ0 यू0पी0सी0एल0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412078860	परीक्षण केन्द्र में स्वंय उपस्थिति रहकर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।
पंजीकरण हेतु–			
16	डॉ0 पंकज नौटियाल, कृषि विज्ञान केन्द्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412394661	केन्द्र में आगमन करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण आदि की व्यवस्था हेतु नोडल।
17	श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9634433677	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
18	श्री कुलदीप राणा, कनिष्ठ अभियंता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	8126285026	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फॅसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें संस्थागत अथवा गृह संगरोधन में रखा जायेगा।

उक्त के क्रम में बाहरी जनपद/राज्य से उत्तरकाशी में आगमन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में आगमन केन्द्र (Arrival centre) एवं कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में अग्रिम आदेशों तक निम्न नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
1	श्री सुरेश तोमर अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	7579186700	समस्त व्यवस्थाऐं यथा माइक, साउन्ड, लाईट, बैरिकेडिंग, भोजन एवं रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी।
2	श्री विरेन्द्र सिंह रावत तहसीलदार डुण्डा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	9411331611	परीक्षण केन्द्र में कानून व्यवस्था तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम सहप्रभारी
3	श्री विनोद थपलियाल थानाअध्यक्ष, धरासू उत्तरकाशी।	9411112864	शान्ति व्यवस्था हेतु नोडल। आगमन केन्द्र सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेगें।
4	श्री किशोर कुमार, सहायक अभियंता,यू0जे0वी0एन0एल0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8923914394	परीक्षण केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों एवं बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें तथा परीक्षण केन्द्र स्थित बालिका छात्रावास में रहने, खाने, सफाई आदि व्यवस्था हेतु नोडल।
5	श्री विजयप्रताप भण्डारी, /युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	7251088813	जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में सुरक्षा आदि के दृष्टिगत 3 शिफ्ट में 10–10 पी0आर0डी0 जवान की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। ।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारियों के निर्देश दिये जाते है कि उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त परीक्षण केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/ लिपिकीय त्रुटि न की जाये।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–581/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 04 मई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
27	श्री दलबीर सिंह भण्डारी, खण्ड विकास अधिकारी नौगांव	9555930400	<u>विकासखण्ड नोगांव</u> क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र पुलिस चौकी डामटा से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये वाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
28	श्री मोहन सिंह रावत, सहा0 अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला।	99179190832	<u>विकासखण्ड चिन्यालीसौड</u> , आदि क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों हेतु केन्द्र से उनके गांव तक पहुंचाने हेतु केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक से समन्वय स्थापित करेगें एवं गांव तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम उपलब्ध करायेगें। समस्त व्यवस्था एवं सूची तैयार करेगें।
29	श्री भीम सिंह सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड पुरोला।	9568322448	<u>विकासखण्ड डुण्डा</u> क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र पुलिस चौकी डामटा से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
30	श्री पूर्ण सिंह रावत सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड बड़कोट	7579461662	<u>विकासखण्ड भटवाडी</u> क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र पुलिस चौकी डामटा से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
19	श्री उत्तम रावत , कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई पुरोला उत्तरकाशी।	7579144220	श्री रमेश गुलेरिया, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
20	श्री अनन्त राम शर्मा कनिष्ट अभि0 पी0एम0जी0एस0.वाई0 पुरोला	7895833215	श्री रमेश गुलेरिया, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
21	श्री सुनील दत्त कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0. वाई0 पुरोला	9634370255	श्री रमेश गुलेरिया, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
परिवहन हेतु–			
22	श्री प्रवीन सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक परिवहन विभाग–उत्तरकाशी	9897624953	आगन्तुकों के लिए उनके गांव तक जाने हेतु वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नोडल।
23	श्री कपिल उनियाल कनिष्ठ सहायक, परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	9760789151	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। के निर्देशन में कार्य करें।
24	श्री जेठू सिंह प्रवर्तन पर्यवेक्षक परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	8192993897	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। बहादुर के निर्देशन में कार्य करें।
25	श्री धीरेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 पुरोला।	9927477199 9411127667	विकासखण्ड पुरोला क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र पुलिस चौकी डामटा से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए केन्द्र में उपस्थित रहकर सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक से समन्वय स्थापित करते हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
26	श्री देवेन्द्र सिंह डिमरी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी ।	7579146499 9368402117	विकासखण्ड मोरी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र पुलिस चौकी डामटा से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
6	श्रीमती अमरजीत कौर, अधिशासी अधिकारी, नौगांव उत्तरकाशी।	8755002449	सम्पूर्ण परीक्षण केन्द्र की सफाई व्यवस्था हेतु नोडल। वाहनों का सेनेटाईजेशन (सेनेटाईजेशन बे हेतु 01 कर्मी मय उपकरण तैनात करेगे), प्राथमिक वि0 डामटा मे शौचालय आदि का सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन हेतु 04 कर्मी(समस्त उपकरण यथा झाड़ू, पोछा, हार्पिक, सोडियम हाईपोक्लोराईट आदि) तैनात करेगें।
7	श्री विनोद कुमार कश्यप, सहायक अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8755076252	बाहरी जनपद/राज्य से आये हुये व्यक्तियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन स्थल (व्हीकल सेनेटाईजेशन बे) हेतु नोडल।
8	श्री राकेश शर्मा ए0डी0ओ0 पंचायत नौगांव उत्तरकाशी।	8193856666	परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेगें तथा प्रभारी एवं सह प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
9	निधि रावत प्र0चि0 अधि0 नौगांव उत्तरकाशी।	9412046866	परीक्षण केन्द्र में तैनात समस्त अधिकारी/कार्मिक की कोरोना संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत ON-SITE प्रशिक्षण देगें।
10	श्री तेगसिंह रावत खण्ड विकास अधिकारी पुरोला	7579039229	
11	श्री अमित सहा0 खण्ड शिक्षा अधिकारी नौगांव	7895014434	
12	सुश्री भारती बाल वि0 परि0 अधिकारी–नौंगाव उत्तरकाशीं।	9760766486	
13	डॉ0 आर0सी0आर्य, एम0ओ0आई0सी0 पुरोला उत्तरकाशी।	8126313887	केन्द्र में स्वास्थ्य परीक्षण एव स्क्रीनिंग कार्य हेतु 03 सदस्यी दल (चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय) की 04 पृथक–पृथक टीम तैनात कर रोस्टर अनुसार संचालन एवं परीक्षण केन्द्र में पर्याप्त ऐम्बुलेन्स, पी0पी0ई0 किट, मास्क, ग्लब्स, आदि हेतु नोडल।
14	श्री प्रियदर्शन सिंह रावत अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान पुरोला– उत्तरकाशी।	8449705009	परीक्षण केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर निर्बाध जलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेगें।
15	श्री प्रशान्त आर्य अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड बड़कोट उत्तरकाशी।	9412077969	परीक्षण केन्द्र में स्वंय उपस्थिति रहकर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।
पंजीकरण हेतु–			
16	श्री रमेश गुलेरिया कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केन्द्र बड़कोट उत्तरकाशी।	9760500466	केन्द्र मे आगमन करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण आदि की व्यवस्था हेतु नोडल।
17	श्री रविन्द्र चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 बड़कोट उत्तरकाशी।	7579114554	श्री रमेश गुलेरिया, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
18	श्री प्रणव ध्यानी कनिष्ठ अभियंता, जल संस्थान नौगांव उत्तरकाशी।		श्री रमेश गुलेरिया, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फॅसे मजदूर, श्राद्धालु, पर्यटक, विधार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें संस्थागत अथवा गृह संग्रोधन में रखा जायेगा।

उक्त के क्रम में बाहरी जनपद/राज्य से उत्तरकाशी (यमुना घाटी) में आगमन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पुलिस चौकी डामटा में आगमन केन्द्र (Arrival centre) एवं कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरकाशी (यमुना घाटी) में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र पुलिस चौकी डामटा में अग्रिम आदेशों तक निम्न नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
1	श्री सुनील कुमार गर्ग अधिशासी अभियन्ता बड़कोट, उत्तरकाशी।	9719003703	समस्त व्यवस्थाऐं यथा माइक, साउन्ड, लाईट, बैरिकेडिंग, भोजन एवं रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी।
2	श्री मोहन सिंह राणा प्र0 तहसीलदार बड़कोट उत्तरकाशी।	9411331611	परीक्षण केन्द्र में कानून व्यवस्था तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम सहप्रभारी
3	श्री ऋतुराज थानाध्यक्ष, पुरोला उत्तरकाशी।	9411112864 8979244445	शान्ति व्यवस्था हेतु नोडल। आगमन केन्द्र सुरक्षा हेतु पयार्प्त पुलिस बल तैनात करेगें।
4	श्री देवराज तोमर सहायक अभियंता जल संस्थान बड़कोट।	8923914394	परीक्षण केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों एवं बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें तथा परीक्षण केन्द्र स्थित प्राथमिक वि0 डामटा में रहने, खाने, सफाई आदि व्यवस्था हेतु नोडल।
5	श्री विजयप्रताप भण्डारी, /युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	7251088813	पुलिस चौकी डामटा में सुरक्षा आदि के दृष्टिगत 3 शिफ्ट में 10–10 पी0आर0डी0 जवान की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

10. कोरोना वायरस (Covid-19) को रोकथाम हेतु भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी (Social Distancing)/मास्क(Face Cover) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस दौरान प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अपरिहार्य होगी।

11. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 के बाहर आगंतुकों/उपभोक्ताओं के खड़े रहने हेतु निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन करेंगे। साथ ही हाथ धोने हेतु सैनेटाइजर तथा पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे।

12. सभी बैंक अपनी शाखाओं तथा ए0टी0एम0 कक्ष की प्रतिदिन समय–समय पर सोडियम हाड्रोक्लोराईड से सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

13. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा ग्रीन जोन सम्बन्धी शिथिलता अनुमन्य होगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या–576/तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 *दिनांक–04 मई, 2020*

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4. मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष, डी0बी0टी0 सेल।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

भारत सरकार वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 21(23)/2014-FI (Mission) दिनांक 01.05.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों को, माह मई, 2020 हेतु @ 500.00 रूपये अहेतुक सहायता, प्रत्यक्ष नकदी हस्तान्तरण (DBT) द्वारा बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में स्थिति बैंकों को खुला रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर पारित पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं जो दिनांक 04.04.2020 से प्रभावी होंगे।

1. दिनांक 04.05.2020 से सभी बैंक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक ग्राहकों से लेन-देन हेतु खुले रहेंगे।

2. सभी ए0टी0एम0 प्रातः 10:00 बजे अपराह्न 04:00 बजे तक खुले रहेंगे।

3. सभी बैंक मित्र भी उपरोक्त समय प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक नकदी का लेन-देन करेंगे। कुछ बैंक मित्र जो दुकानों में अवस्थित है, उनको मात्र बैंकिंग लेन-देन के लिए ही दुकान (प्रातः 10:00 बजे समे अपराह्न 04:00 बजे) के मध्य खोलने की अनुमति होगी।

4. इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम है, जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेंगे, इसलिए सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमेन/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी सम्पन करेंगे।

5. बैंक से जुडे कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा (सक्षम स्तर से) जारी पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें चार-पहिया व दो पहिया वाहन में आवागमन की छूट होगी। किन्तु सवारी सीमा सम्बन्धी गृहमंत्रालय के निर्देश लागू होंगे।

6. बैंक मित्र आवागमन के लिए अनुमति पत्र निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारियों का अधिकृत किया जाता है। उपजिलाधिकारी जिला लीड बैंक अधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार बैंक मित्रों के अनुमति पत्र जारी करेंगे। किन्तु यह अनुमति पत्र केवल उन्हीं को जारी किया जायेगा जो वास्तविक रूप से बैंक से सम्बन्धित है।

7. दिनांक 04.05.2020 समे 11.05.2020 तक प्रधानमंत्री जनधन खाते धारकों को उनके खाता संख्या के अन्तिम अंक के अनुसार भुगतान होगा।

खाता संख्या का अन्तिम अंक	लाभार्थी के खाते से धन निकासी हेतु निर्धारित तिथि
0 या 01	04.05.2020
02 या 03	05.05.2020
04 या 05	06.05.2020
06 या 07	08.05.2020
08 या 09	11.05.2020

8. दिनांक 11.05.2020 के पश्चात खाता धारक किसी भी तिथि को बैंक से धन आहरित कर सकते हैं।

9. जहाँ कहीं ग्राहक/लाभार्थी का अंगूठा लागाया जाना अनिवार्य हो, तो मामलों में अगूठा लगाने से पहले व बाद में सम्बन्धित उपकरण को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।

Scanned with CamScanner

अन्यत्र जनपदों एवं राज्यों से आये व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी जांच करते हुये उन्हे क्वारंटीन मे रखने, उनमे संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आंख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374–222640/01374–222126) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(डॉ0 आशीष चौहान),
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–613/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 06 मई, 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालननार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त टीमों को वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/होम्योपेथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. तहसीलदार, भटवाडी।
9. उपरोक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
10. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी ।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉक–डाउन के कारण विभिन्न स्थानों में रूके पर्यटक, विधार्थी एवं अन्य लोगों को उनके जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति के क्रम में दिनांक 03.05.2020 से जनपद में बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारन्टीन में रखा जा रहा है। तहसील भटवाडी अन्तर्गत समस्त ग्रामों में आये व्यक्तियों को क्वारन्टीन प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 07 एवं 08.05.2020 को प्रत्येक ग्राम का निरीक्षण कर वाररूम द्वारा निर्धारित प्रारूप सूचना उपलब्ध करायेंगे। जिस हेतु निम्नप्रकार से कोविड मजिस्ट्रेट की पुनः तैनाती की जाती है

<u>तहसील भटवाडी</u>

क्र0सं0/जोन का नाम	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम
1–हर्षिल	हर्षिल मुखवा, धराली, बगोरी, झाला, जसपुर सुक्खी, पुरोली	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–7579016888	डॉ0 दिनेश भट्ट (हौम्योपेथिक)मो0–9456118284	श्री बचन सिंह 9997497945
2– भटवाडी	बार्सू ,पाला मराड़ी, कुज्जन, सुनगर भंगेली, तिहार, भुक्की, हुर्री, भटवाड़ी, क्यार्क, बन्द्राणी, नटीण, रैथल	श्री विकास नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी–8979455464	डॉ0 यशी S.A.D. रैथल। मो0 9411530721	श्री जितेन्द्र सिंह मों0 9411733421
3–सौरा	भैला टिपरी सिल्ला, जौड़ाव पिलंग, सालंग, सौरा, सारी लाटा, स्याबा, सालू मल्ला, पाही, द्वारी	श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, ज्ञानसू मों0 9760275099	डॉ0 गुमान सिंह भण्डार, रा0 आ0चि0, बरसाली मो0– 9458123128	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मो0 9639678772
4– मनेरी	कुमाल्टी, जौकाणी, गोरसाली, सैंज, जखौल औंगी, कनेथ, मनेरी, डिडसारी, जामक, बयाणा,लौन्थरू, कामर	श्री आशीष भट्ट सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तरकाशी। 9760041357	डॉ0 एम.एस. राणा मो0 9690458052	श्री विजयपाल खत्री मों0 9411568121
5–गंगोरी	सिरोर, गवाणा, नाल्ड, हिना, नेताला भंकोली,अगोड़ा, डासडा,दन्दालका गजोली,सेकू,नौगांव उत्तरौं,	श्री संगम सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डुण्डा– 9670530785	राकेश कुमार(फार्मासिस्ट) मो0–7579031704	श्री नागेन्द्र चौहान मों0 96399926975
6– माण्डों	निराकोट, सिल्याण, जसपुर, माण्डों किशनपुर, मानपुर , कुरोली बौंगाड़ी, कंकराड़ी,मस्ताड़ी, थलन, साड़ा अलेथ, धनपुर साड़ग, नगर पालिका, बडाहाट– वार्ड न0 3–तिलोथ	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मों0 7895161286	डॉ0 रविन्द्र राणा S.A.D. मनेरी मो0 7302465258	श्री विनोद पंवार मों0 7351873772
7–बौंगा	बौंगा भैलुड़ा, दोबाह कोटियालगांव, अठाली, चामकोट, दिलसौड़, डांग, पोखरी, कन्सेण, नगर पालिका, बडाहाट–वार्ड न0 8 एवं 09 लदाडी/जोशियाडा मनेरा सहित	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मों0 9412381199	डॉ0 आशीष व्यास मो0–9411299048	श्री विरेन्द्र रावत मों0 9760331634
8–ज्ञानसू	ज्ञाणजा, निसमोर गमदीड़गांव,लटूड़गांव,साल्डबसूंगा, ज्ञानसू– नगर पालिका वार्ड न0 10 एवं 11	श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मों0 9411141866	रितेश नौटियाल(फार्मासिस्ट) मो0–8958306040	श्री राजेश भट्ट मों0 7055563321
9–जोशियाडा	ग्राम संग्राली पाटा, बग्यालगांवं नगर पालिका वार्ड नम्बर– 1, 2, 4, 5, 6, 7 के सभी क्षेत्र	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पयेजल निगम, उत्तरकाशी। मों0 7500817383	श्री राजेन्द्र (फार्मासिस्ट) मो0–9634567610	श्री विरेन्द्र सिंह मो0–9760331634

क्रमशः.........2

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
बाहरी (राज्य समन्वयक)
कोविड–19, देहरादून उत्तराखण्ड।

संख्याः– 607 / तेरह– आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020 दिनांक 06 मई, 2020

विषयः– **कोविड–19 के नियंत्रण हेतु लॉक–डाउन के कारण अन्यत्र राज्यों से आने वाले लोगों को जनपद में भेजे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पत्र संख्या–40–3/2020–DM (A) दिनांक 29.04.2020 के क्रम में कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण के दृष्टिगत किये गये लॉक–डाउन के कारण अन्यत्र राज्यों एवं जनपदों के रूके हुये लोगों को दिनांक 03.05.2020 से गृह जनपद भेजा जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी के निवासी जो हरिद्वार अथवा ऋषिकेश से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों से चिन्यालीसौड में आगमन हो रहा है। सभी बाहरी लोग चिन्यालीसौड़ से आने के कारण यमुना वैली (तहसील बडकोट, पुरोला एवं मोरी) के दूरस्थ ग्रामों के आगन्तुको को उनके पैतृक गांव/गन्तव्य तक भेजे जाने में विलम्ब के साथ पंजीकरण कठिनाई हो रही है।

अतः विन्रम अनुरोध है कि जनपद के तहसील भटवाडी, डुण्डा एवं चिन्यालीसौड़ के व्यक्तियों को ऋषिकेश अथवा मसूरी होते हुये चिन्यालीसौड़ तथा तहसील बडकोट पुरोला, एवं मोरी के व्यक्तियों का देहरादून–डामटा–नौगांव मार्ग से भेजे जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः–1 आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल पौडी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–2 जिलाधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉक–डाउन के कारण विभिन्न स्थानों में रूके पर्यटक, विधार्थी एवं अन्य लोगों को उनके जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति के क्रम में दिनांक 03.05.2020 से जनपद में बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारन्टीन में रखा जा रहा है। तहसील डुण्डा अन्तर्गत समस्त ग्रामों में आये व्यक्तियों को क्वारन्टीन प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 09 एवं 10.05.2020 को प्रत्येक ग्राम का निरीक्षण कर वाररूम द्वारा निर्धारित प्रारूप सूचना उपलब्ध करायेंगे। जिस हेतु निम्नप्रकार से कोविड मजिस्ट्रेट की पुनः तैनाती की जाती है

<u>तहसील डुण्डा</u>

क्र0सं0/जोन का नाम	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विमाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	प्रान्तीय रक्षक दल से तैनात कर्मचारी का नाम
1–पिपली धनारी	भटवाडी, पंचाणगांव, ढुगालगांव, दिकथोल, चकोन, बगसारी, चिलमुडगांव, फोल्ड, बमणगांव , कुलेथ, दिकबिजपुर, धारकोट, पिपली मंजकोट, मुसडगांव,	श्री तकदीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी मो0–7579016888	डॉ0 दिनेश भट्ट(हौम्योपेथिक) मो0–9456118284	श्री बचन सिंह 9997497945
2–मातली	मातली, गेंवला, जुगुल्डी, पंजियाला, बौन, रतूडीसेरा, चिणाखौली, बडेथी, खरवां, कवां, खुरकोट, भराणगांव, उपरिकोट।	श्री विकास नौटियाल कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी 8979455464	डॉ0 यशी S.A.D. रैथल। मो0 9411530721	श्री जितेन्द्र सिंह मों0 9411733421
3–बरसाली	सौन्दगांव ब0, रांगडीसेरा, गढ़, बरसाली, सिंगोट, पाव, बुधाणगांव, सांगोसेरा,, भाटुसेरा, कुन्सी, सिंगोटी, मांगलीसेरा, बीरपुर, डुण्डा, खट्टुखाल।	श्री सन्दीप भट्ट अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, ज्ञानसू मों0 9760275099	डॉ0 गुमान सिंह भण्डार, रा0 आ0चि0, बरसाली मो0– 9458123128	श्री दुर्गेश प्रसाद भट्ट मों0 9639678772
4–कल्याणी	कल्याणी, जखारी, पटारा, सोमन, कौडाफेडी, जिनेथ, पनोथ, पुजारगांव, पैन्थर, बान्दु, मालना, लोल्दु, हरेती।	श्री आशीष भट्ट सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 उत्तरकाशी। मों0 9760041357	डॉ0 एम.एस. राणा मो0 9690458052	श्री विजयपाल खत्री मों0 9411568121
5–गेंवला ब्रहमखाल	जुणगा, जेमर, बडेथ, रेशगी, मैनोल, टिपरा, जोग्याडा, खुरमौला, बग्यालखेत, नगल, ग्योणेटी, मंजगांव, वाण, सौन्द, छमरौली, नागगांव।	श्री संगम सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डुण्डा– 9670530785	राकेश कुमार(फार्मासिस्ट) मो0–7579031704	श्री नागेन्द्र चौहान मों0 96399926975
6–धौंतरी	कमद, कुमारकोट, जांलग, ठाण्डी, बागी, भडकोट, सटियालीधार, चौन्दियाटगांव, लोदाडा, धौंतरी ,भेटियारा, सिरी, धौंतरी, दिखोली।	श्री अरविन्द सिंह, अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मों0 7895161286	डॉ0 रविन्द्र राणा S.A.D. मनेरी मो0 7302465258	श्री विनोद पंवार मों0 7351873772
7–बडेथ गाजणा	भैंत, न्यूगांव, नैपड, हुल्डियाणा, पोखरियालगांव, न्यूसारी, बडेथी, धणेटी, मट्टी , उडरी, गढ़थाती, गोरसाडा।	श्री राजेश नौटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ज्ञानसू उत्तरकाशी। मों0 9412381199	डॉ0 आशीष व्यास मो0–9411299048	श्री विरेन्द्र रावत मों0 9760331634
8–हिटाणू धनारी	अस्तल, किरूण, कोटी भाटगांव, गवाणा, डाण्डागांव, दिवली, पुजारगांव, भाजफ, दडमाली, रनाडी, हिटाणू, भालसी, उदाल्का।	श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी। मों0 9411141866	रितेश नौटियाल(फार्मासिस्ट) मो0–8958306040	श्री राजेश भट्ट मों0 7055863321
9–थाती धनारी	ईड, सिगुणी, ढुंगी, बैजकोट, कलीगांव, बग्यालगांव, पैणीभवान, पटुडी, चिनाणगांव, ढुगालधार, थाती ।	श्री हरीश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता पयेजल निगम, उत्तरकाशी। मों0 7500817383	श्री राजेन्द्र (फार्मासिस्ट) मो0–9634567610	श्री विरेन्द्र सिंह मो0–9760331634

अन्यत्र जनपदों एवं राज्यों से आये व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी जांच करते हुये उन्हे क्वारंटीन में रखने, उनमे संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आंख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374–222640/01374–222126) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(डॉ0 आशीष चौहान),
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः......2

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के आदेश संख्या–114 / USDMA-792(2020) दिनांक 01 मई, 2020 एवं आदेश संख्या–128 / USDMA-792(2020) दिनांक 06 मई, 2020 के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत देश के विभिन्न राज्यों मे निवासरत व्यक्तियों को राज्य में वापस लाने हेतु विस्तृत मानक प्रचालन विधि तैयार की गयी है। मानक प्रचालन विधि के अनुसार जिलाधिकारी को अतिरिक्त नोडल ऑफिसर नामित किया गया है।

मानक प्रचालन विधि के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त नोडल ऑफिसर विभिन्न राज्यों मे जनपद के निवासरत व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों के जनपद में निवासरत व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जनपदीय आवागमन हेतु चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवहन परमिट निर्गत करने, विभिन्न राज्य के नोडल अधिकारियों, तथा सीमावर्ती जनपदो के जिलाधिकारियों एवं मण्डल आयुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में जनपद उत्तरकाशी में निवासरत अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों जो अपने प्रदेशों में जाना चाहते है तथा जनपद के निवासी जो बाहरी प्रदेशों में निवासरत है और वापस जनपद में अपने पैतृक गांव / नगर आने के इच्छुक है उन्हे परमिट निर्गत करने हेतु ***अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को जनपद नोडल अधिकारी, तथा प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय को सह–नोडल अधिकारी,*** नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी, शासन द्वारा प्राप्त मानक प्रचालन विधि तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इस जनपद से निजी / वाणिज्यक वाहनों से अन्यत्र राज्यों / जनपदों में जाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों / जनपदों से उत्तरकाशी जनपद में आने वाले व्यक्तियों को परमिट / ई–पास निर्गत करने अथवा पोर्टल पर पास अनुमोदित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें। नोडल अधिकारी, जनपद से जाने वाले व्यक्तियों हेतु आवश्यकतानुसार गमन केन्द्र (Departure Point) का निर्धारण करते हुये वहां पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं तैयार कराते हुये लोगों का प्रस्थान सुनिश्चित करायेगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–627 / तेरह–आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020 — *दिनांक–08 मई,2020*

प्रतिलिपि– **निम्नाकित को सूचनार्थ प्रेषित।**

1– मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल
2– जिलाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।
1– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के आदेश संख्या–114/USDMA-792(2020) दिनांक 01 मई, 2020 एवं आदेश संख्या–128/ USDMA-792(2020) दिनांक 06 मई, 2020 के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत देश के विभिन्न राज्यों मे निवासरत व्यक्तियों को राज्य में वापस लाने हेतु विस्तृत मानक प्रचालन विधि तैयार की गयी है। मानक प्रचालन विधि के अनुसार जिलाधिकारी को अतिरिक्त नोडल ऑफिसर नामित किया गया है।

मानक प्रचालन विधि के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त नोडल ऑफिसर विभिन्न राज्यों मे जनपद के निवासरत व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों के जनपद में निवासरत व्यक्तियों के अर्न्तराज्यीय एवं अन्तर जनपदीय आवागमन हेतु चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवहन परमिट निर्गत करने, विभिन्न राज्य के नोडल अधिकारियों, तथा सीमावर्ती जनपदो के जिलाधिकारियों एवं मण्डल आयुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में जनपद उत्तरकाशी में निवासरत अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों जो अपने प्रदेशों में जाना चाहते है तथा जनपद के निवासी जो बाहरी प्रदेशों में निवासरत है और वापस जनपद में अपने पैतृक गांव/नगर आने के इच्छुक है उन्हे परमिट निर्गत करने हेतु ***अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को जनपद नोडल अधिकारी, तथा प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय को सह–नोडल अधिकारी,*** नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी, शासन द्वारा प्राप्त मानक प्रचालन विधि तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इस जनपद से निजी/वाणिज्यक वाहनों से अन्यत्र राज्यों/जनपदों में जाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों/जनपदों से उत्तरकाशी जनपद में आने वाले व्यक्तियों को परमिट/ ई–पास निर्गत करने अथवा पोर्टल पर पास अनुमोदित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारी, जनपद से जाने वाले व्यक्तियों हेतु आवश्यकतानुसार गमन केन्द्र (Departure Point) का निर्धारण करते हुये वहां पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं तैयार कराते हुये लोगों का प्रस्थान सुनिश्चित करायेगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 627 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 *दिनांक– 08 मई,2020*

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल
2– जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
1– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के आदेश संख्या–114 / USDMA-792(2020) दिनांक 01 मई, 2020 एवं आदेश संख्या–128 / USDMA-792(2020) दिनांक 06 मई, 2020 के क्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत देश के विभिन्न राज्यों मे निवासरत व्यक्तियों को राज्य में वापस लाने हेतु विस्तृत मानक प्रचालन विधि तैयार की गयी है। मानक प्रचालन विधि के अनुसार जिलाधिकारी को अतिरिक्त नोडल ऑफिसर नामित किया गया है।

मानक प्रचालन विधि के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त नोडल ऑफिसर विभिन्न राज्यों मे जनपद के निवासरत व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों के जनपद में निवासरत व्यक्तियों के अर्न्तराज्यीय एवं अन्तर जनपदीय आवागमन हेतु चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवहन परमिट निर्गत करने, विभिन्न राज्य के नोडल अधिकारियों, तथा सीमावर्ती जनपदो के जिलाधिकारियों एवं मण्डल आयुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में जनपद उत्तरकाशी में निवासरत अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों जो अपने प्रदेशों में जाना चाहते है तथा जनपद के निवासी जो बाहरी प्रदेशों में निवासरत है और वापस जनपद में अपने पैतृक गांव/नगर आने के इच्छुक है उन्हे परमिट निर्गत करने हेतु ***अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को जनपद नोडल अधिकारी, तथा प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय को सह–नोडल अधिकारी,*** नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी, शासन द्वारा प्राप्त मानक प्रचालन विधि तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इस जनपद से निजी/वाणिज्यक वाहनों से अन्यत्र राज्यों/जनपदों में जाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य राज्यों/जनपदों से उत्तरकाशी जनपद में आने वाले व्यक्तियों को परमिट/ ई–पास निर्गत करने अथवा पोर्टल पर पास अनुमोदित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारी, जनपद से जाने वाले व्यक्तियों हेतु आवश्यकतानुसार गमन केन्द्र (Departure Point) का निर्धारण करते हुये वहां पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं तैयार कराते हुये लोगों का प्रस्थान सुनिश्चित करायेगें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 627 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 *दिनांक– 08 मई,2020*

प्रतिलिपि– **निम्नाकित को सूचनार्थ प्रेषित।**

1– मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल
2– जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
1– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-डीएम-/(A) दिनांक 15.04.2020 के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में लाक-डाउन प्रभावी रहने की स्थिति मे आमजनमानस को हो रही कठिनाई के न्यूनीकरण हेतु शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 220/तेरह- आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28.04.2020 के द्वारा निर्माणदायी संस्थाओं को जनपद में नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर सड़क, सिंचाई, MSME कार्य पुन: प्रारम्भ करने हेतु कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी समस्त प्राविधानों/शर्तों का पालन करते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/ -डीएम-/(A) दिनांक 01.05.2020 के अनुसार ग्रीन जोन अन्तर्गत बिन्दु संख्या-4 को छोड़कर अन्य सभी कार्यो हेतु शिथिलिता प्रदान करने के प्राविधान है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत ऐसे निजी निर्माण कार्य जो लॉक-डाउन के पूर्व गतिमान थे को पुन: प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि कार्य स्थल के समीप उपलब्ध स्थानीय मजदूरों/कामगारों से ही कार्य करवाया जाय व सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुये निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1. कार्य स्थल पर सेनेटाईजेशन करना अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे ।
2. निर्माण स्थल पर अनिवार्यत: हाथ धोने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी, गम्छा, ग्लब्ज, साबुन, सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे
3. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाय।
4. निर्माण कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार सीमित संख्या में ही मजदूरों से कार्य करवाया जाय।
5. कार्य स्थल के समीप उपलब्ध स्थानीय मजदूरों का ही प्रयोग किया जायेगा। किसी भी दशा में जनपद में बाहर से मजदूर लाया जाना पूणत: प्रतिबन्धित होगा।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही/लिपिकीय त्रुटि क्षम्य नहीं होगी। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51, 52, 54, 55 58, 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या:- 628 तेरह-आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020 दिनांक 8 मई, 2020

प्रतिलिपि:– निम्नाकिंत की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. पुलिस अधीक्षक,उत्तरकाशी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी।
11. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/-डीएम-/(I) दिनांक 01.05.2020 के अनुसार ग्रीन जोन अन्तर्गत बिन्दु संख्या-4 को छोड़कर अन्य सभी कार्यो हेतु शिथिलिता प्रदान करने के प्राविधान है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत लॉक-डाउन के कारण आमजनमानस को हो रही कठिनाई एवं मिष्ठान संचालकों के सम्मुख उनके परिवार के भरण-पोषण के संकट को मद्देनजर रखते हुये जनपद अन्तर्गत मिष्ठान की दुकान के सचांलन हेतु उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि दुकान में ही तैयार किये गये मिष्ठान को मात्र विक्रय/होम डिलेवरी हेतु निम्नलिखित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय:-

1. मिष्ठान की दुकान में साफ-साफाई के साथ सेनेटाईजेशन करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे ।
2. मिष्ठान की दुकान के समीप उपलब्ध स्थानीय हलवाई/हेल्पर का ही प्रयोग किया जायेगा।किसी भी दशा में जनपद में बाहर से हलवाई/हेल्पर आदि लाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
3. मिष्ठान तैयार करने वाले हलवाई/हेल्पर एवं संचालक को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. मिष्ठान तैयार करने वाले हलवाई/हेल्पर एवं संचालक आदि द्वारा मास्क/ग्लब्ज का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायोगा।
5. दुकान में स्वच्छ पानी, ग्लब्ज, साबुन, सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे।
6. मिष्ठान प्रतिष्ठान के संचालन हेतु अधिकतम 50 प्रतिशित कार्मिक (हलवाई/हेल्पर/वेटर आदि) क्षमता का उपयोग किया जायेगा।
6. दुकान का संचालन अनुमन्य समयावधि में ही किया जायेगा।
7. मिष्ठान की दुकान में मिष्ठान तैयार कर मात्र विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। किसी भी दशा में दुकान के अन्दर ग्राहक को मिष्ठान/चाय/खाद्य/पेयजल पदार्थ आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि रेस्टोरेण्ट के रूप में इसका उपयोग न किया जाए।
8. मिष्ठान की दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/त्रुटि क्षम्य नहीं होगी। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51, 52, 54, 55 58, 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय-जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः- 645 तेरह-आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020 दिनांक 9 मई, 2020

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. पुलिस अधीक्षक,उत्तरकाशी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

अतः उक्त के क्रम में यदि असत्य/भ्रामक सूचना उक्त टीमों के स्तर से प्रेषित की जाती है अथवा बाद में किसी गांव/नगर क्षेत्र में समुदाय संक्रमण की स्थति उत्पन्न होती है अथवा एकाएक अत्यधिक संख्या में " ILI " एवं " SARI " सम्बन्धित रोगियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इस स्थिति में सम्बन्धितों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 तथा महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उक्त कार्य में पर्यवेक्षण का कार्य आपका है जिस कारण आपके विरूद्ध भी उक्तानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कोविड–19 / महत्वपूर्ण

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 887 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020 दिनांक 05 मई, 2020

1. मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तरकाशी।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
   उत्तरकाशी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक),
   उत्तरकाशी।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी,
   महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
5. जिला समन्वयक, आशा ,
   जनपद उत्तरकाशी।

विषयः– ग्राम स्तर पर कोरोना वायरस एवं " ILI " एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों युक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फँसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य को अपने गृह जनपदों / राज्यों में जाने हेतु अनुमति के उपरान्त जनपद में दिनांक 03.05.2020 से अन्यत्र जनपदों / राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवसियों का आवागमन अपने मूल निवास / पैतृक ग्रामों में हो रहा है। जनपद में प्रवासियों के आगमन पर उनकी जांच / स्क्रीनिंग के पश्चात क्वारंटीन प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिनों तक गृह एवं पंचायत संगरोधन में भेजा जा रहा है। बाहरी राज्यों / जनपदों से बडी संख्या में प्रवासियों के आने से ग्रामों में कोरोना संक्रमण की प्रबल सम्भावना है। तथा संक्रमण का समुदाय में फैलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्वारंटीन प्रोटोकॉल के अनुसार उक्त प्रवासी नागरिकों को क्वारंटीन समयावधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा जा रहा है। किन्तु कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उक्त प्रवासियों को समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त सर्विलांस पर रखा जाता है। सर्विलांस अवधि में प्रवासियों को घर पर पूर्ण सर्तकता बरतते हुये सामाजिक दूरी व आईसोलेशन के अन्य नियमों का पालन कराने, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियां में भाग न लेने एवं ग्राम समुदाय से पर्याप्त दूरी रखी जाने आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तथा जन सामान्य में ILI " एवं " SARI सम्बन्धी लक्षणों की सूचना देने हेतु ग्राम स्तर पर आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन की टीम तथा तैनात शिक्षक की तैनाती दैनिक निगरानी / सर्विलांस के निमित पूर्व ही की गयी है। जिसमें यह भी निर्देश दिये गये है कि प्रवासियों एवं स्थानीय नागरिकों में " ILI " एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षण परिलक्षित होने पर तत्काल प्रतिदिन वाररूम / कन्ट्रोल रूम (01374–222722, 226126, 222641) को सूचना उपलब्ध करायेंगे। ताकि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना के दृष्टिगत पुनः जांच की जा सके।

DEOC/negi-2020/Covid

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के दृष्टिगत 25 मार्च, 2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है।

लॉक डाउन के पश्चात अन्यत्र राज्यों एवं जनपदों से बडी संख्या में जनपद उत्तरकाशी के निवासी एवं प्रवासी अपने मूल ग्रामों में आ रहें है। बाहरी राज्यों से व राज्य के अन्य जनपदों से आने वाले प्रवासियों में संक्रमित व्यक्तियों के होने की सम्भावना के दृष्टिगत त्वरित रूप से संक्रमण सम्भावितों की पहचान एवं तद्नुसार उनकी उपचार प्रक्रिया आरम्भ किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार को रोकने में अत्यन्त प्रभावी है। अन्यत्र राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिये संस्थागत/पंचायत /होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। संस्थागत, पंचायत क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों के चिकित्सीय जांच एवं उनके कोरोना सम्बन्धी लक्षणों के सर्विलांस हेतु जनपद अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की टीम गठित की गयी है। पूर्वादेश सं. संख्या-252/तेरह-आ0प्र0प्राधि0 (COVID-19)/2020 दिनांक 26 मार्च, 2020 के द्वारा डॉ0 विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को War room में दायित्व सौंपे गये हैं। अतः War room से डॉ0 विपुल विश्वास की तैनाती को निरस्त करते हुए उन्हें उक्त गठित टीमों के कार्यो के सर्विलांस हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वह कोविड मजिस्ट्रेट, RBSK टीम व ग्राम स्तरीय निगरानी तंत्र के निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए उक्त टीमों द्वारा संस्थागत एवं ग्रामीण क्वारंटीन किये गये लोगों की मानक परिचालन विधि अनुसार प्रत्येक दिन की जाँच आदि वाँछित कार्यवाही का दैनिक रूप से अनुश्रवण करेंगे तथा प्रत्येक दिन की सूचना तैयार कर कण्ट्रोल रूप को प्रेषित करने के साथ-साथ डॉ0 विपुल विश्वास स्थलीय निरीक्षण कर पंचायत क्वारंटीनों की प्रभावशीलता में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-252/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 12 मई, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख चिकित्साधिक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5. डॉ0 विपुल विश्वास उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वा0 के0, नौगांव/बड़कोट/पुरोला/चिन्यालीसौड।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या–724/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 16 मई, 2020

जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तरकाशी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फॅसे मजदूर, श्राद्धालु, पर्यटक, विधार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति दी गयी है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 03..05.2020 से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के माध्यम से जनपद में बाहरी जनपद/राज्यों से प्रवासी निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें 14 दिनों तक गृह, पंचायत, संस्थागत क्वारन्टीन सेन्टर एवं आईसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। तत्पश्चात प्रवासियों को उनके गन्तव्य हेतु भेजा जा रहा है।

उक्त व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक भेजे जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं किये जाने हेतु वाहन संख्या– UK-10GA/0093 (बस) का उपयोग किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वाहन को आवश्यकतानुसार ईधन आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित उक्त वाहन का उपरोक्तानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–742/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

सेवा में,

दिनांक 17 मई, 2020

कमाण्डर,
36 बी0आर0टी0एफ0,
सीमा सड़क संगठन, तेखला, उत्तरकाशी।

विषयः– **अपने विभागीय वाहन (बस) निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फंसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य प्रवासियों को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति दी गयी है । उक्त के दृष्टिगत दिनांक 03.05.2020 से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के माध्यम से जनपद में बाहरी जनपद/राज्यों से प्रवासी निवासियों का आवागमन हो रहा है। उक्त प्रवासी आगन्तुकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें 14 दिनों तक गृह, पंचायत, संस्थागत क्वारन्टीन सेन्टर एवं आईसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है तथा स्क्रीनिंग के अनुसार प्रवासियों को जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क उनके गन्तव्य हेतु भेजा जा रहा है।

अतः जिला प्रशासन के सहयोगार्थ उक्त प्रवासी नागरिकों को उनके गन्तव्य तक निःशुल्क भेजे जाने हेतु अपना विभागीय 01 वाहन (बस) मय चालक/परिचालक के उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त वाहन में उपयोगिता के अनुसार ईंधन आपूर्ति इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी। 17/5/2020

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

अधोहस्ताक्षरी के आदेश पत्र संख्या–349/तेरह–आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020 दिनांक 06.04.2020 के द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत वृहद स्तर पर जनपद अन्तर्गत प्रत्येक गांव/शहर/वार्ड में कोरोना एवं इन्फ्लुएन्ज़ा के लक्षणों (सूखी खांसी एवं बुखार) से ग्रसित व्यक्तियों का डोर–टू–डोर सर्वेक्षण ग्राम स्तरीय टीम द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के सर्वेक्षण हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान, आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री एवं स्थानीय राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/हाई स्कूल/इन्टर विद्यालयों के शिक्षकों की टीम गठित कर तैनाती की गयी है।

अतः वर्तमान में जनपद के समस्त ग्राम/नगर क्षेत्र में बाहरी जनपदों/राज्यों से अधिक संख्या में लौट रहें प्रवासी नागरिकों के दृष्टिगत उपरोक्त पत्र के द्वारा तैनात टीमों को निर्देश दिये जाते है, कि ग्राम/नगर के प्रत्येक घर के सदस्यों का पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार सतर्कता का पालन करते हुये कोरोना एवं इन्फ्लूएन्जा के लक्षणों (सूखी खांसी एवं बुखार) से ग्रसित व्यक्तियों का **द्वितीय डोर–टू–डोर भौतिक सर्वेक्षण 05 दिनों के अन्दर पूर्ण** करना सुनिश्चित करेंगे तथा आख्या संलग्न प्रारूप पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निम्न दूरभाष/वॉट्सएप–7455933268 एवं इमेल–icdsuttarkashi@gmail.com पर अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त टीम द्वारा ग्राम में SARI/ILI के लक्षण परिलक्षित होने वाले लोगों की चिकित्सीय परीक्षण करवाये जाने हेतु जांच दल को सूचित करते हुये आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी, आपदा प्रबन्धन कार्यालय से मास्क/फेसकवर, सेनेटाईजर की आपूर्ति प्राप्त कर उक्त कार्य में सामाजिक दूरी बनाये रखने सहित मास्क/सेनेटाइजर का उपयोग करते हुये इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न–यथोपरि

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः– 689 तेरह–आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020 दिनांक 14 मई, 2020

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि गठित "ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण" टीम द्वारा प्रेषित प्रत्येक ग्राम की आख्या को संकलित करते हुए उसका विस्तृत विश्लेषण कर कन्ट्रोल रूम एवं वाररूम को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य पशु चिकित्सधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय स्थापित कर दैनिक रूप से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध आख्या की सूचना सुव्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद उत्तरकाशी।
9. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत क्वारन्टीन प्राटोकॉल के अनुसार बाहरी जनपदों से उत्तरकाशी आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिये विभिन्न संस्थागत क्वारंटीन में रखा जा रहा है।

उपरोक्त को दृष्टिगत तपोवन कुटीर उजेली संचालक द्वारा निःशुल्क में आश्रम मय संसाधन के अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों तक क्वारन्टीन सेन्टर में रखे जाने हेतु क्वारन्टीन सेन्टर के रूप उपयोग किये जाने के लिये प्राप्त सहमति के क्रम में आवश्यक व्यवस्थायें किये जाने हेतु **श्री उदयवीर सिंह, संग्रह अमीन, तहसील भटवाडी (मो0–9456700945)** की अग्रिम आदेश तक तैनाती की जाती है।

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारी के निर्देश दिये जाते है कि उक्त संस्थागत संगरोधन में क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत क्वारन्टीन प्राटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उक्त केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न की जाय।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–687/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 14 मई, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रत्येक संस्थागत संगरोध सेन्टर में 02 पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त क्वारन्टाइन सेन्टर की साफ–साफाई एवं सेनेटाइजेशन हेतु स्वच्छक कार्मिकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
7. प्रबन्धक, तपोवन आश्रम, उजेली, उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विषयक भारत सरकर के निर्गत दिशा–निर्देश जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता बनाये रखने संबधी निर्देशों का अनुपालन व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है, का शत–प्रतिशत अनुपालन कराये जाने के प्रति संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/दुकान/प्रतिष्ठान/संस्था/निर्माण कार्यो के प्रबन्धक/ठेकेदार उत्तरदायी होंगे। उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 व Epidemic Diseases Act-1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त आदेश दिनांक 20.05.2020 से प्रभावी होगें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

कार्यालय– जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या– 762 *तेरह–आ0प्र0प्राधि/* CoVID-19) /2020 *दिनांक–* 19 *मई, 2020*

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
10. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
12. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समस्त कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि प्रातः 10:00 बजे से सांयः 4:00 बजे तक खुले रहेगें। उपरोक्त समस्त कार्यालयों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ–सफाई सम्बन्धित निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

0. समस्त निजी कार्यालय सांयः 4:00 बजे तक खुले रहेगें तथा इनमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी, साफ–सफाई सम्बन्धित निर्देशों एवं अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. अन्तर राज्य परिवहन सामान्यतः प्रतिबन्धित रहेगी। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त निजी चार पहिया वाहनों में अधिकतम 03 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सांयः 4:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर–आवश्यक क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित होगें।

3. कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय निर्देशिकाः–

I. समस्त सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

II. सार्वजनिक एवं कार्य स्थानों पर थूकना सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माने समे दण्डनीय होगां

III. समस्त व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में सार्वजनिक दूरी बनाये रखी जायेगी।

IV. विवाह सम्बन्धी एकत्रिकरण में सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा तथा अतिथियों की संख्या अधिकतम 50 से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।

V. दाह संस्कार/अंतिम संस्कार से सम्बन्धित एकत्रिकरण में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए तथा व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 20 से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।

VI. मदिरा, पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर अनुमन्य नहीं होगा।

VII. समस्त दुकानों में ग्राहकों को कम से कम 06 फिट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित की जाय तथा 05 से अधिक व्यक्ति दुकान पर अनुमन्य नहीं होंगे।

कार्यस्थलों हेतु अतिरिक्त निर्देशिकाः–

I. यथासंभव घर से कार्य करने की व्यवस्था को अपनाया जायेगा।

II. कार्यलय/कार्य स्थलों, दुकानों, मार्केट एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों में कार्य/व्यवसाय हेतु पालियों में समय नियत किया जायेगा।

III. समस्त कार्य स्थलों के प्रवेश एवं निकासी तथा सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग का प्राविधान, हैण्डवाश, सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

IV. समस्त कार्य स्थलों एवं आम सुविधा तथा ऐसे केन्द्रों जो व्यक्तियों के सम्पर्क में आते है यथा– दरवाजे, हैण्डल्स इत्यादि पर भिन्न–भिन्न अन्तराल पर बार–बार सेनिटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

V. समस्त व्यक्तियों द्वारा कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी बनायी रखी जायेगी, कार्मिकों के बीच/शिफ्टों के मध्य एवं स्टाफ के लंच ब्रेक इत्यादि में पर्याप्त दूरी बनाये रखी जाय।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17 मई 2020 के क्रम में मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या–184/USDMA-792-(2020) दिनांक 18.05.2020 के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण हेतु लॉक–डाउन अवधि को दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के तहत निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाते है :–

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या– 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा जारी गाईडलाइन के बिन्दु संख्या–02 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में निम्नलिखित गतिविधियॉ प्रतिबन्धित/सशर्त अनुमत रहेंगी–

1. समस्त स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे। ऑन लाईन/डिस्टेंस लर्निंग अनुमन्य रहेगी तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाये।
2. समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सत्कार सेवायें प्रतिबन्धित रहेंगी (केवल आवासीय सेवाओं/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य देखभाल संबन्धी कार्मिकों/प्रवासी व्यक्तियों, जिनमें पर्यटक एवं क्वारंटाईन फैसिलिटी भी शामिल है एवं बस डिपों पर कैन्टीन संचालन को छोडकर) रेस्टोरेंट्स को रसोई संचालन की अनुमति केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए होगी।
3. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल व अन्य ऐसे स्थान प्रतिबंधित रहेंगे।
4. समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सभायें व मण्डलियॉ प्रतिबन्धित रहेंगी।
5. समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बन्द रहेंगे। धार्मिक मण्डलियॉ सख्ती के साथ प्रतिबंधित रहेंगी।
6. राज्य के ऑरेन्ज (Orange) जोन एवं ग्रीन (Green) जोन में वर्गीकृत जनपदों में Inter State एवं Intra State सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। परिवहन विभाग इस सम्बन्ध में मानक प्रचालन कार्य विधि (SOP) जारी करेंगे।
7. जनपद में Barber Shop, Saloon, Spa, एवं Parlour खुल सकेगें, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा उपयोग के बाद सभी उपकरण सेनेटाईज करते हुए साफ–सफाई पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। पर्याप्त मात्रा में साफ टॉवल रखते हुए प्रतिष्ठान के अन्दर सोशियल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। करोना वायरस के संक्रमण की दशा में कान्टेक्ट ट्रेसिंग के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राहक का पंजिका बना कर विवरण यथा नाम, पता, मोबाईल नं0 दुकान में आने का समय सहित सूचना तैयार कर साप्ताहिक रूप से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को खॉसी, जुकाम, बुखार आदि की लक्षण होने पर सेवायें प्रदान नहीं की जायें बल्कि तत्काल इसकी सूचना पंजिका में दर्ज करते हुए आपातकालीन परिचालन केन्द्र अथवा पुलिस/प्रशासन को देना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–10/2020–DM-I (A) दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन के संचालन के संदर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में ये समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 7:00 बजे से सांयः 4:00 बजे तक सेवायें दे सकेंगे।

क्रमशः..............2

Scanned with CamScanner

xi आवश्यक सामग्रियों/व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

13. विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थानों में क्वारन्टाईन किये गये व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने तथा इन व्यक्तियों को कोविड–19 के लक्षण पाये जाने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम के दूरभाष नम्बर– 01374–222641 एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर–01374–222126, 222722 मो0–7500337269 के माध्यम से संज्ञान में लाने के लिये सम्बन्धित न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी एवं प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरदायी होंगे।

14. विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थानों में रह रहें व्यक्तियों की देखरेख एवं सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल (वी0आर0डी0)द्वारा किया जायेगा। जिसमें प्रधान, ग्राम पंचायत, सदस्य, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्वैच्छिक कार्यकर्ता होगें तथा ग्राम रक्षक दल बनाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत की होगी।

15. उपरोक्त कार्यो/व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं निगरानी सब डिवीजन में उप जिला मजिस्ट्रेट तथा जनपद स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारीं एवं इस हेतु तैनात कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित की जायेगी।

16. न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत, नोडल अधिकारी/ग्राम प्रधान के द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतु घरों में व्यक्तियों को क्वारन्टाईन किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने या उक्त के क्रम में किये जा रहें कार्यों में व्यवधान डालने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के साथ–साथ महामारी अधिनियम–1897(यथा समय–समय पर संशोधित) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्न–प्रारूप।</u>

(डॉ0 आशीष चौहान),
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक 23 मई, 2020

संख्याः– 787 तेरह–आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. पुलिस अधीक्षक,उत्तरकाशी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
9. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
12. समस्त प्रधानगण,/समस्त ग्राम पंचायत, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड/नौगांव/पुरोला एवं मोरी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

10. 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि का शेष 50 प्रतिशत बेसिक फण्ड ग्राम पंचायत अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यक्ताओं के अनुरूप विकास कार्यो में व्यय कर सकती हैं। इसके अन्तर्गत प्रवासियों के क्वारन्टाईन करने हेतु चिन्हित सरकारी भवन यथा शासकीय विद्यालय/पंचायत भवन/अन्य सामुदायिक भवन/शासकीय आंगनवाड़ी भवन में ग्राम पंचायत आवश्यक्तानुसार विद्युत फिटिंग आदि आवश्यक कार्य वर्ष 2020–21 के जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करा सकते है।

11. विद्यालय/पंचायत भवन/अन्य सामुदायिक भवन में क्वारन्टाईन किये गये प्रवासियों हेतु आवश्यक व्यवस्था में वित्त आयोग की कन्टिंजेन्सी मद में उपलब्ध धनराशि ग्राम पंचायत में समाप्त हो जाने पर इस व्यवस्था में अधिक्तम रू0 10000.00/– की सीमा तक अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करायी जा सकती है।

12. उपरोक्त बिन्दु संख्या–11 के अनुसार व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

i. उक्त कार्य हेतु व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) में कोविड–19 के व्यय हेतु वर्णित दिशा निर्देश के अनुसार किये जायेगे।

ii समस्त आवश्यक सामग्री एवं व्यवस्थाओं हेतु क्रय यथा सम्भव ऐसी दुकान से किया जाये जिस दुकानदार के पास GST/पेन कार्ड इत्यादि हो।

iii. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा समस्त व्यय विवरण/सूचनाएॅ अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को मुख्य राजस्व सहायक (सी0आर0ए0) के माध्यम से खण्डवार उपलब्ध करायी जायेगी। उप जिलाधिकारी अपने स्तर से व्यय अनुश्रवण एवं सत्यापन समिति का गठन कर विकास खण्ड स्तर पर प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन करेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तुत व्यय प्रस्तावों पूर्व परीक्षण एवं सत्यापन कर उक्तानुसार ही व्ययानुमोदन/प्रावधानित किया जाय ताकि औचित्यपूर्ण व्यय किया जा सके।

iv खण्डवार बनाये गये क्वारंटाईन सेन्टर की प्रतिदिन रिर्पोटिंग जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी की ई–मेल ddmauttarkashi@gmail.com में साय: 05:00 बजे तक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

v क्वारंटाईन सेन्टर में पानी, विद्युत, शौचालय, सिविल वर्क इत्यादि की व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ग्रामीण निर्माण विभाग/परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, उत्तरकाशी जिम्मेदार होगे।

vi सामग्रियों/व्यवस्थाओं हेतु व्यय तहसील/जनपद (यदि कोई हो) स्तर पर निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

vii जहां दरों का निर्धारण न हो, वहां पर ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत नोडल अधिकारी, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर दरों का निर्धारण कर व्यय किया जायेगा।

viii उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथा समय–समय पर संशोधित) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा

ix विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थानों में सामग्री एवं व्यवस्थाओं की प्राप्ति/स्टॉक में वस्तुओं को लेने का दायित्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत एवं प्रधान, ग्राम पंचायत का होगा।

x विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थानों में व्यवस्थाओं/सुविधाओं की नियमित निगरानी एवं देखभाल में सम्बन्धित पट्टी क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान करेंगे।

क्रमश:......3

Scanned with CamScanner

: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तालाबन्दी (लॉक डाउन) की अवधि में व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति दिये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों की कोविड–19 के परिपेक्ष में गृह मामले मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या–117/यूएसडीएमए–838 (2020) दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप निगरानी किये जाने में सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत समस्त ग्राम प्रधानों को निम्नवत् शक्तियों का प्रतिनिधायन करते हुए निम्न निर्देश दिये गये है–

1. ग्राम पंचायत में आने वाले समस्त बाहरी लोगों की सूचना तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचनाऐं संकलित कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगे।
2. बाहर से आने वाले तथा पंजीकरण किये गये सभी व्यक्तियों के मोबाईल फोन पर कोविड–19 से सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित, एंड्राएड फोन के लिए Google play store तथा एप्पल फोन के लिए App store पर उपलब्ध आरोग्य सेतु मोबाईल App को इन्सटॉल करवाने एवं इसे उपयोग में लाना सुनिश्चित करायेंगे। इसके साथ–साथ ग्राम सभा में निवासरत अन्य व्यक्तियों को भी आरोग्य सेतु के उपयोग हेतु प्रेरित करेंगे।
3. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत सुरक्षित, ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित उत्तराखण्ड के जनपदो के साथ–साथ उत्तराखण्ड के अन्य जनपदो में निर्धारित क्वारंटाईन अवधि पूर्ण करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को छोडकर अन्य समस्त स्थानों से ग्राम पंचायत अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्यतः निकटवर्ती विद्यालय/पंचायत भवन/अन्य सामुदायिक स्थान में 14 दिनों की निर्धारित अवधि के लिए क्वारंटाईन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।
4. उपरोक्त विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थान में ग्राम प्रधान के द्वारा बिजली, पानी, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम पंचायत में आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन अथवा विद्यालय/पंचायत घर/अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारंटाईन करने हेतु चिकित्सक के निर्णय अनुसार राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा परस्पर परामर्श कर लिया जायेगा।
5. स्वजल परियोजना द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सेनिटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपो क्लोराईट उपलब्ध कराया जायेगा।
6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी राजस्व ग्रामों में गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के खातों में पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत में उक्त कार्यो हेतु किंया जा सकता है।
7. ग्राम पंचायत में आने वाले प्रवासी चूँकि सम्बन्धित गांव के ही निवासी है, अतः सामुदायिक स्थानों में क्वारन्टाईन किये जाने पर यदि सम्बन्धित प्रवासी के घर के लोग बहुत गरीब होने के कारण भोजन/बिस्तर व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, तो इनके लिए भोजन, बिस्तर आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तात्कालिक रूप से करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति वित्त आयोग की कन्टिंजन्सी मद में उपलब्ध धनराशि से कर सकते है।
8. ऐसे श्रमिक जिन्हें श्रम विभाग, उत्तराखण्ड से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसके अतिक्ति असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिन्हित करते हुए ऐसे प्रवासियों की सूची ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाये
   और इस प्रकार के पात्र प्रवासियों को तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष राशन से किट उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. प्रवासियों को क्वारन्टाईन करने हेतु चिहिन्त, सरकारी भवन यथा शासकीय विद्यालय/पंचायत भवन/अन्य सामुदायिक भवन/शासकीय ऑगनबाडी भवन में शौचालय व्यवस्था पेयजल आपूर्ति निर्माण/मरम्मत कार्यो को ग्राम पंचायत अपनी वर्ष 2020–21 के जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करते हुए 15वें वित्त अथवा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कर सकती है। विदित हो कि 15वें वित्त आयेग द्वारा आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत अनटाईड मद यथा स्वच्छता, पेयजल, वर्षा जल संरक्षण हेतु एवं जलापूर्ति हेतु मानकीकृत है और वर्ष 2020–21 के जी0पी0डी0पी0 को उक्त मानक के अनुसार पुनः तैयार किये जाने हेतु अवगत कराया जा चुका है।

क्रमशः......2

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
33	श्री शैन्की कुमार, सहायक अभियन्ता धरासू पावर हाउस चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8791334800	**विकासखण्ड भटवाडी** क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
34	श्री गौरव पपनोई, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	9412120840	**होटल विश्वनाथ की समस्त व्यवस्था** यथा सेनेटाईजेशन, फ्यूमिगेशन, साफ–सफाई भोजन, एवं रहने आदि सुनिश्चित करेगें।
35	श्री विक्रम सिंह पंवार, डिग्री कॉलेज चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	6396713302	**होटल विश्वनाथ की समस्त व्यवस्था** यथा सेनेटाईजेशन, फ्यूमिगेशन, साफ–सफाई भोजन, एवं रहने आदि सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त तैनात नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं उक्त परीक्षण केन्द्र की दैनिक सूचना जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 23.05.2020 से लागू होगा तथा वर्तमान में तैनात नोडल अधिकारी इस आदेश के द्वारा नये तैनात नोडल अधिकारीगण को चिन्यालीसौड जी0आई0सी0 एवं नगुण बैरियर में स्थापित स्क्रीनिंग केन्द्र की कार्य प्रणाली से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/ लिपिकीय त्रुटि क्षम्य नही होगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–789/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 23 मई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
29	श्री विजय आर्य, कनिष्ठ अभियंता, सिचांई विभाग उत्तरकाशी।	8979048473	विकासखण्ड मोरी क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
30	श्री गौरव बहुगुणा, कनिष्ठ अभियंता, सिचांई विभाग, उत्तरकाशी।	9760753132	**विकासखण्ड नोगांव** क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।
31	श्री अभिनव नौटियाल, सहायक निदेशक डेरी विकास उत्तरकाशी।	9410799831	**विकासखण्ड चिन्यालीसौड** , आदि क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों हेतु केन्द्र से उनके गांव तक पहुचाने हेतु श्री जिन्तेद्र बहादुर चन्द के साथ केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करेगें एवं गांव तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम उपलब्ध करायेगें। समस्त व्यवस्था एवं सूची तैयार करेगें।
32	श्री राजेश बिजल्वाण सहायक अभियन्ता, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	9639263545	**विकासखण्ड डुण्डा** क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करतें हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

क्रमश.......5

Scanned with CamScanner

0	नोडल का नाम / पदनाम	मो0न0	दायित्व
	श्री मनोज कण्डपाल, सहायक अभियंता, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	7456590434	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
	श्री विकास कुमार कश्यप, कनिष्ठ अभियंता, उत्तरकाशी।	9045816493	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
	श्री कृपाल सिंह सैनी, सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी	9412147658	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
	श्री निशिकान्त, कनिष्ठ अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।	8978053036	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
22	श्री शलभ वर्मा, कनिष्ठ अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।	9412580416	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
23	श्री प्रदीप बागडी, कनिष्ठ अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।	945659536	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
24	श्री लाल सिंह वर्मा, कृषि अधिकारी वर्ग–2 चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	9456377320	आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी के निर्देशन में नगुण बैरियर में कार्य करेगें ।
परिवहन हेतु–			
25	श्री जितेन्द्र चन्द, परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी।	9520379234	आगन्तुकों के लिए उनके गांव तक जाने हेतु वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नोडल।
26	भुवनेश गुसांई, कनिष्ठ सहायक, परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	9760789151	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। के निर्देशन में कार्य करें।
27	श्री महवीर राणा, उपनल परिवहन विभाग उत्तरकाशी।	8171169816	परिवहन कर अधिकारी प्रथम उत्तरकाशी। के निर्देशन में कार्य करें।
28	श्री प्रमोद शुक्ला सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तरकाशी।	7251000170	<u>विकासखण्ड पुरोला</u> क्षेत्र जाने वाले व्यक्तियों हेतु परीक्षण केन्द्र चिन्यालीसौड़ से उनके गन्तव्य तक पहुचाने के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम उत्तरकाशी, के साथ केन्द्र में उपस्थित रहकर समन्वय स्थापित करते हुये बाहर से आये व्यक्तियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें तथा किस वाहन संख्या से किन व्यक्तियों (प्रत्येक का पूर्ण पता, आधार न0, मोबाईल न0) की सूची परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगें।

क्रमशः......4

Scanned with CamScanner

0	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
	श्री हयात सिंह रौतेला, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	9411553571	सम्पूर्ण परीक्षण केन्द्र की सफाई व्यवस्था हेतु नोडल। वाहनों का सेनेटाईजेशन (सेनेटाईजेशन बे हेतु 01 कर्मी मय उपकरण तैनात करेगें), बालिका छात्रावास, शौचालय आदि का सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन हेतु 04 कर्मी(समस्त उपकरण यथा झाड़ू, पोछा, हार्पिक, सोडियम हाईपोक्लोराईट आदि) तैनात करेगें।
	श्री सत्यपाल बिष्ट, सहकारिता चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	9456788046	बाहरी जनपद/राज्य से आये हुये व्यक्तियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के सेनेटाईजेशन/फ्यूमीगेशन स्थल (व्हीकल सेनेटाईजेशन बे) हेतु नोडल।
	श्री अजय प्रकाश, कर्मशाला निदेशक, उत्तरकाशी।	8126927982	परीक्षण केन्द्र में स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेगें तथा प्रभारी एवं सह प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगें।
9	डॉ0 विनोद कुकरेती, एम0ओ0आई0सी0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।	8126575800	केन्द्र में स्वास्थ्य परीक्षण एव स्क्रीनिंग कार्य हेतु 03 सदस्यी दल (चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय) की 04 पृथक-पृथक टीम तैनात कर रोस्टर अनुसार संचालन एवं परीक्षण केन्द्र में पर्याप्त ऐम्बुलेन्स, पी0पी0ई0 किट, मास्क, ग्लब्स, आदि हेतु नोडल।
10	श्री बी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी।	9411103541	परीक्षण केन्द्र में स्वयं उपस्थित रहकर निर्बाध जलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगें।
11	श्री पोखरियाल, एस0डी0ओ0 यू0पी0सी0एल0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412078860	परीक्षण केन्द्र में स्वंय उपस्थिति रहकर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।
नगुण बैरियर एवं चिन्यालीसौड जी0आई0सी0 केन्द्र में स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण हेतु–			
12	डॉ0 पंकज नौटियाल, कृषि विज्ञान केन्द्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9412394661	केन्द्र में आगमन करने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण आदि की व्यवस्था हेतु नोडल। नोडल अधिकारी दैनिक रूप से नगुण बैरियर एवं चिन्यालीसौड जी0आई0सी0 केन्द्र में आने वाले व्यक्तियों की सूची संकलित कर आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी को प्रेषित करेंगे।
13	श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9634433677	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
14	श्री कुलदीप राणा, कनिष्ठ अभियंता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	8126285026	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
15	श्री योगेश कुमार , कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9411751550	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
16	श्री सुमन राणा, डी0ई0ओ0 तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	9411146576	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।
17	श्री धीरज कुमार, कनिष्ठ सहायक तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	8273755093	डॉ0 पंकज नौटियाल, से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

क्रमशः.......3

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फॅसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विधार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें संस्थागत अथवा गृह संग्रोधन में रखा जायेगा।

उक्त के क्रम में बाहरी जनपद/राज्य से उत्तरकाशी में आगमन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर में आगमन केन्द्र (Arrival centre) एवं कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरकाशी में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग उनका विवरण धारित करने, परिवहन व्यवस्था, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर में दिनांक 23.05.2020 से 08.06.2020 तक निम्न नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	नोडल का नाम/पदनाम	मो0न0	दायित्व
1	श्री राजेश चौकसी, अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वि0एन0एल0 चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	9456690358	समस्त व्यवस्थाऐं यथा माइक, साउन्ड, लाईट, बैरिकेडिंग, भोजन एवं रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आगमन केन्द्र जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड एवं नगुण बैरियर हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम प्रभारी।
2	श्री विरेन्द्र सिंह रावत तहसीलदार डुण्डा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	9411331611	परीक्षण केन्द्र में कानून व्यवस्था तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु नोडल एवं कन्ट्रोल रूम सहप्रभारी
3	श्री विनोद थपलियाल थानाअध्यक्ष, धरासू उत्तरकाशी।	9411112864	शान्ति व्यवस्था हेतु नोडल। आगमन केन्द्र सुरक्षा हेतु पयार्प्त पुलिस बल तैनात करेगें।
4	श्री किशोर कुमार, सहायक अभियंता,यू0जे0वी0एन0एल0 चिन्यालीसौड उत्तरकाशी	8923914394	परीक्षण केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों एवं बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें तथा परीक्षण केन्द्र स्थित बालिका छात्रावास में रहने, खाने, सफाई आदि व्यवस्था हेतु नोडल।
5	श्री विजयप्रताप भण्डारी, युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी/ सन्दीप राणा, बी0ओ0 डुण्डा	7251088813 7819904894	जी0आई0सी0 चिन्यालीसौड में सुरक्षा आदि के दृष्टिगत 3 शिफ्ट में 10–10 पी0आर0डी0 जवान की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। ।

क्रमशः......2

Scanned with CamScanner

आदेश::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–03/2020–DM-I (A) दिनांक 30 मई, 2020 के द्वारा अनलॉक अवधि–1 में ऑरेंज जोन में कतिपय गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश व्यवसायिक एवं निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों जैसे बाजार क्षेत्रों में दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।

मुख्य सचिव, महोदय के पत्र संख्या–222/USDMA–792(2020) दिनांक 29.05.2020 तथा पत्र संख्या–230/ USDMA–792(2020) दिनांक 31.05.2020 के द्वारा व्यावसायिक एवं वाणिज्यक गतिविधियों के संचालन की अवधि प्रातः 7:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक नियत की गयी है। मुख्य सचिव, महोदय के उक्त आदेश के क्रम में, इस कार्यालय के आदेश संख्या–762/ *तेरह–आ0प्र0प्राधि/*CoVID-19) /2020 दिनांक 19 मई, 2020 के बिन्दु संख्या–7 में आंशिक संशोधित करते हुये दिनांक 08.06.2020 से जनपद में समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 7:00 बजे से सांयः 7:00 बजे तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पूर्व कार्यालय आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

बाजार क्षेत्र में दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने वाले समस्त व्यापारी कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में भारत सरकर तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश जैसे सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी का पालन एवं स्वच्छता बनाये रखने संबधी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश दिनांक 08 जून, 2020 से प्रभावी होगें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

कार्यालय– जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या– 903 *तेरह–आ0प्र0प्राधि/* CoVID-19) /2020 *दिनांक–* 08 *जून, 2020*

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
10. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
12. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. समस्त व्यापार मण्डल अध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद में अन्यत्र राज्यों एवं जनपदों के प्रवासी नागरिक जनपद में आ रहें है। जिनकी स्क्रीनिंग कर 14 दिनों की अवधि तक क्वारंटाईन में रखा जा रहा है।

जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम से समन्वय कर जनपद में बाहरी प्रदेशों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के पश्चात्, स्क्रीनिंग रिपोर्ट के अनुसार होम एवं पंचायत क्वारंटीन केन्द्रों में भेजे जाने आदि आवश्यक व्यवस्था किये जाने के कार्यों हेतु इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या– 695/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 14.05.2020 के द्वारा तैनात कार्मिकों को यथावत रखते हुये इनकी तैनाती अग्रिम आदेशों तक वाररूम में की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–796/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 24 मई, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि जिला चिकित्सालय के स्क्रीनिंग सेन्टर में तैनात पुलिस कार्मिकों को उपरोक्त कार्मिकों के सहयोग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी इस आशय से प्रेषित कार्मिकों के सहयोग हेतु प्रत्येक पाली में एक–एक पी0आर0डी0 स्वयंसेवक की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
5. सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड सहकारी समितियां, उत्तरकाशी।
6. प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
7. जिलाधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फंसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य प्रवासियों को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति दी गयी है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 03.05.2020 से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के माध्यम से जनपद में बाहरी जनपद/राज्यों से प्रवासी निवासियों का आवागमन हो रहा है। उक्त प्रवासी आगन्तुकों में बेघर/निराश्रित/बेसहारा व्यक्तियों हेतु राहत शिविर की स्थापना की जानी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद में आने वाले बेघर/निराश्रित/बेसहारा लोगों को आश्रय देने हेतु राजकीय रामचन्द्र उनियाल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी को राहत शिविर के उपयोग हेतु अग्रिम आदेशों तक अधिगृहित किया जाता है। उक्त राहत शिविर में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं सुनिश्चित करें हेतु डॉ0 दिवाकर बौद्ध, आसि0प्रो0 वाणिज्य, राजकीय रामचन्द्र उनियाल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित कर तैनात किया जाता है। तैनात नोडल अधिकारी के निर्देश दिये जाते है कि उक्त राहत शिविर गृह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत कोरोना नियंत्रण सम्बन्धी प्रोटोकॉल/सोशल डिस्टेसिंग आदि का कड़ाई से अनुपालन करवाते हुये शिविर में पेयजल/भोजन/साफ–सफाई आदि समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा शिविर की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न की जाय।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–797/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 24 मई, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधानाचार्य, राजकीय रामचन्द्र उनियाल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त राहत शिविर में 02 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राहत शिविर में साफ–साफाई एवं सेनेटाइजेशन हेतु स्वच्छक कार्मिकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
8. उप जिलाधिकारी पुरोला को आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नोडल अधिकारी 7–बगाण–II में कोविड मजिस्ट्रेट हेतु तैनात ह, कि स्थान पर अपने स्तर से अन्य अधिकारी की कोविड मजिस्ट्रेट के रूम में करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या- 268 /एस0पी0ए0/ 2020 दिनांक 24 मई ,2020

समस्त ग्राम/नगर स्तरीय सुरक्षा टीम,
कोविड वायरस (COVID-19),
उत्तरकाशी।

जनपद में कोरोना वायरस की रोकथाम व इसके संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत बाहरी राज्यों/ जनपदों से आने वाले प्रवासियों को ग्राम पंचायतों/संस्थागत संगरोधन केन्द्रों/गृह संगरोधन में रखे जा रहे हैं। चूँकि जनपद में आने वाले ऐसे प्रवासियों से संक्रमित होने की पूर्ण सम्भावना है तथा ऐसे लोगों को उनके पारिवारिक सदस्यों, ग्राम अथवा समुदाय से अगले 14 दिनों के लिये पृथक रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत निर्देश दिये जाते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम व इसके संक्रमण को रोकने हेतु बाहरी राज्यों/जनपदों से आने वाले प्रवासियों जिनको संस्थागत/विद्यालयों/ग्राम पंचायतों में बनाये गये संगरोधन केन्द्रों/गृह संगरोधन केन्द्रों में रखा जा रहा है, ऐसे लोगों से किसी भी दशा में बाहरी/अन्य ग्रामीण व्यक्ति न मिलें व वह लोग संगरोधन केन्द्रों में ही रहें, उनसे कोई भी बाहरी व्यक्ति न मिलने पाये। यदि किसी व्यक्ति/ग्रामीण द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाय।

(डॉ आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संस्थागत/विद्यालयों/ग्राम पंचायतों में बनायी गयी बाहरी व्यक्ति से मिलने संबंधी पंजिका में इन्द्राजी की गई है, का सत्यापन कर आख्या उधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-05-2020 तक लॉक डाउन किया गया है। जनपद में बाहरी राज्यों से आये कतिपय प्रवासी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये गये है, जिससे जनपद में कोरोना वायरस के प्रसार की अत्यधिक सम्भावना है। जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत, अन्यत्र राज्यों और जनपदों से आये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा जांच की जा रही है और उन्हे ग्राम पंचायतों/संस्थागत संगरोधन केन्द्रों/गृह संगरोधन में रखा जा रहा है। जनपद में कोरोना की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। जनपद के दूरस्थ विकासखण्ड यथा नौगांव, मोरी, पुरोला में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाहियों, इस कार्य में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों के पर्यवेक्षण/मार्ग निर्देशन व कोविड-19 के कार्यो की गहन निगरानी व अनुश्रवण सुनिश्चित कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी रवॉई-टोन्स घाटी तैनात किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या- 270 /एस0पी0ए0/ 2020 दिनांक 25, मई ,2020

प्रतिलिपि- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

2- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

2- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

3- उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला।

4- पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या- 271 /एस0पी0ए0/ 2020 दिनांक 25, मई ,2020

1- समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तरकाशी।
2- समस्त ग्राम/नगर स्तरीय सुरक्षा टीम, कोविड वायरस (COVID-19), उत्तरकाशी।

जनपद में कोरोना वायरस की रोकथाम व इसके संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत बाहरी राज्यों/जनपदों से आने वाले प्रवासियों को ग्राम पंचायतों/संस्थागत संगरोधन केन्द्रों/गृह संगरोधन में रखे जा रहे है। चूंकि जनपद में आने वाले ऐसे प्रवासियों से संक्रमित होने की पूर्ण सम्भावना है। इसके दृष्टिगत आपको पूर्व में प्रत्येक गाँवों में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण में " ILI" /" SARI " सम्बन्धित लक्षणों के लोगों की दैनिक सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जनपद के संवेदनशील ग्राम जहाँ के बाहरी राज्यों से आये प्रवासी नागरिक संक्रमित पाये गये यथा-

क्र.सं.	संवेदनशील ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	दिलसौड़	भटवाड़ी
2	निसमोर	भटवाड़ी
3	गजोली	भटवाड़ी
4	डुण्डा गाँव	डुण्डा
5	लोदाड़ा	डुण्डा
6	न्यूगाँव	डुण्डा
7	जगड़ गाँव	चिन्यालीसौड़
8	जोगत तल्ला	चिन्यालीसौड़
9	भंकोली	नौगाँव
10	बर्नीगाड	नौगाँव
11	डख्याटगाँव	नौगाँव

उपरोक्त ग्रामों के ग्रामीणों की " ILI" /" SARI " सम्बन्धित लक्षणों की दैनिक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए तद्सम्बन्धी दैनिक सूचना जिला आपदा कन्ट्रोल/वार रूम में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी ।

(डॉ आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि-

1- समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- प्रभारी, वाररूम, जिला चिकित्सालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्तानुसार अपने स्तर से दैनिक सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
3- प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, जिला आपदा केन्द्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्तानुसार वार रूम से दैनिक सूचना प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 824 / तेरह–आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020 दिनांक– 26 मई, 2020

उपजिलाधिकारी,
भटवाड़ी / डुण्डा / बड़कोट / पुरोला।

विषय– करोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत आवश्यक रूप से दैनिक सूचना सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर दैनिक सूचना सम्बन्धी प्रमाण पत्र सांय 4:00 बजे तक अपने स्तर से आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

1. परगना क्षेत्रान्तर्गत SARI/ILI के लक्षणों के असामान्य वृद्वि न होने के सम्बन्ध में।
2. पंचायत एवं होम क्वारंटाईन में रह रहे व्यक्तियों द्वारा क्वारंटाईन के नियमों का पालन किये जाने के सम्बन्ध में।
3. क्वारंटाईन के नियमों का पालन न किये जाने के फलस्वरूप व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
4. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक सामग्री / उपकरणों की आवश्यकता की सामान्यतः / कमी सम्बन्धी विवरण।

अतः उक्त बिन्दुओं पर दैनिक रूप से प्रमाण पत्र सांय 4:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
अपर जलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः

जिलाधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अपर जलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
26/5/2020

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक 29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों/जनपदों में फँसे प्रवासियों को अपने गृह जनपदों/राज्यों में जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में दिनांक 03.05.2020 से अन्यत्र जनपदों/राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवसियों का आवागमन जनपद उत्तरकाशी में हो रहा है। जनपद में प्रवासियों के आगमन पर उनकी जांच/स्क्रीनिंग, गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार मेडिकल टीम द्वारा चिन्यालीसौड एवं डामटा के स्क्रीनिंग केन्द्रों में की जा रही है। जांच/स्क्रीनिंग के उपरान्त स्क्रीनिंग टीम द्वारा आगन्तुकों को गृह, पंचायत, संस्थागत संगरोधन में तथा Symptomatic व्यक्तियों को आईसोलेशन में रखते हुये उनकी कोरोना वायरस सम्बन्धी जांच करायी जा रही है।

जनपद में आतिथि तक कतिपय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाये गये है। इन व्यक्तियों के ग्रामों में तथा इनके प्राथमिक सम्पर्क में आये व्यक्तियों के ग्राम में निवासरत गर्भवती महिलाओं के " ILI" एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों की कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत निरन्तर जांच की जानी आवश्यक होगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में मुख्य सर्विलांस अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी, जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तरकाशी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी एवं आशा समन्वयक, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल ऐसे सम्बन्धित ग्रामों में निवासरत गर्भवती महिलाआं का निरन्तर " ILI" एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों की जांच कर सम्बन्धी मरीजों की सूची अधोहस्ताक्षरी को सघन परीक्षण कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः– 819 /तेरह-आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020 दिनांक 18 मई, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित के अनुपालनार्थ प्रेषित।

1 उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी ।
4. प्ररियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. आशा समन्वयक, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉक डाउन के कारण अन्यत्र जनपदों/राज्यों में फँसे प्रवासियों का वर्तमान में भारी संख्या में जनपद में आवागमन होने के दृष्टिगत क्वारंटीन सुविधा बढ़ाये जाने एवं कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव के कार्यो के उपयोगार्थ आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 की धारा 65 एवं Epidemic act के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों का प्रयोग करते हुये **राजकीय पालीटेक्निक, चिन्यालीसौड, (दिखोली) जनपद उत्तरकाशी को दिनांक 29.05.2020 से अग्रिम आदेशों तक अधीगृहीत किया जाता है।**

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 840 /तेरह–आ0प्र0प्राधि/CoVID-19) /2020 दिनांक–28 मई, 2020

प्रतिलिपिः

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित उक्त केन्द्र में पुलिस वायरलेस सेट की स्थापना हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त केन्द्र में स्वास्थ्य कार्मिकों एवं 04 स्वच्छक कार्मिकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
5. जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त संस्थागत संगरोध सेन्टर में 02 पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त क्वारन्टाइन सेन्टर की साफ–सफाई एवं सेनेटाइजेशन हेतु स्वच्छक कार्मिकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, पालीटेक्निक, चिन्यालीसौड, (दिखोली) जनपद उत्तरकाशी
8. प्रभारी वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धनप्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया है तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020/DM-I (A) दिनांक–29 अप्रैल 2020 के द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फँसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य को अपने जनपद/राज्य जाने हेतु अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि बाहरी जनपद/राज्य से आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें संस्थागत अथवा गृह संगरोधन में रखा जायेगा। उक्त के क्रम में दिनांक 03.05.2020 से अन्यत्र जनपदों/राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवसियों का आवागमन जनपद उत्तरकाशी में हो रहा है। जनपद में प्रवासियों के आगमन पर उनकी जांच/स्क्रीनिंग के पश्चात गृह एवं पंचायत संगरोधन में भेजा जा रहा है। बाहरी राज्यों/जनपदों से बडी संख्या में प्रवासियों के आने से ग्रामों में कोरोना संक्रमण की प्रबल सम्भावना है।

जनपद में बाहरी प्रदेशों एवं उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों तथा ग्राम में निवासरत व्यक्तियों में " ILI" एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों की कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत निरन्तर जांच आर0बी0एस0के0 टीम, कोविड मजिस्ट्रेट तथा ग्राम स्तरीय टीम द्वारा की जा रही है।

उक्त टीमों एवं मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच सम्बन्धी आख्या वाररूम तथा तहसील एवं जनपद के कन्ट्रोल रूम को प्रेषित की जा रही है। वाररूम, तथा कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली उक्त सूचना को प्रतिदिन Excel शीट पर तैयार करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उपरेक्त आर0बी0एस0के0 टीम, कोविड मजिस्ट्रेट तथा ग्राम स्तरीय टीम प्राप्त सूचना को संकलित करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर Excel शीट एवं हार्डकापी में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। सूचना संकलन सम्बन्धी प्रारूप संलग्न है।

संलग्न–यथोपरि

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–829/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 21 मई, 2020

प्रतिलिपि :–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, उत्तरकाशी।
2. प्रभारी अधिकारी, वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देश दिये जाते है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त प्रवासियों की शतप्रतिशत नियमित निगरानी/सर्विलांस हेतु ग्राम प्रधान, कोविड मजिस्ट्रेट, आर0बी0एस0के0 टीम, ग्राम स्तरीय समिति/क्यू0आर0टी0, सी0आर0टी0/बी0आर0टी0 व अपने क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारियों से करवाना सुनिश्चित करें। स्मरण रहे, कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय। उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। चुकिः इससे सम्बन्धित ग्राम में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रसार होना सम्भावित हो सकता है।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1 मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2– जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी ।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. समस्त चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद उत्तरकाशी।
6. समस्त कोविड मजिस्ट्रेट, जनपद उत्तरकाशी।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कोविड–19 / महत्वपूर्ण

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 858 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020

दिनांक 30 मई, 2020

1. मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तरकाशी।
2. उप जिलाधिकारी,
   भटवाडी / डुण्डा / बडकोट / पुरोला।
3. खण्ड विकास अधिकारी,
   भटवाडी / डुण्डा / चिन्यालीसौड / बडकोट / पुरोला / मोरी।

विषयः– **प्रत्येक गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बाहर से आये प्रवासियों द्वारा पंचायत क्वारंटीन की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त 14 दिन तक उनके घर पर निगरानी, सर्विलांस में रखे जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों में फँसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य को अपने गृह जनपदों / राज्यों में जाने हेतु अनुमति के उपरान्त जनपद में दिनांक 03.05.2020 से अन्यत्र जनपदों / राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवसियों का आवागमन अपने मूल निवास / पैतृक ग्रामों में हो रहा है। जनपद में प्रवासियों के आगमन पर उनकी जांच / स्क्रीनिंग के पश्चात क्वारंटीन प्रोटोकॉल के अनुसार 14 दिनों तक पृथक रख कर गृह एवं पंचायत संगरोधन में भेजा जा रहा है। बाहरी राज्यों / जनपदों से बडी संख्या में प्रवासियों के आने से ग्रामों में कोरोना संक्रमण की प्रबल सम्भावना एवं एहतियात के दृष्टिगत निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्वारंटीन प्रोटोकॉल के अनुसार उक्त प्रवासी नागरिकों द्वारा 14 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन समयावधि पूर्ण होने पर उनके घर भेजा जा रहा है। किन्तु कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उक्त प्रवासियों द्वारा 14 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त एहतियात के रूप में 14 दिनों तक सर्विलांस अवधि में उनके घर पर ही पूर्ण सर्तकता बरतते हुये सामाजिक दूरी व आईसोलेशन के अन्य नियमों का पालन करते हुये सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियां जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी में है, में किसी भी दशा में भाग न लिया जाय एवं ग्राम समुदाय से पर्याप्त दूरी रखी जाने आदि का अनुपालन करवाते हुये निगरानी / सर्विलांस की जाय।
2. प्रवासियों में उक्त अवधि में "ILI" एवं "SARI" सम्बन्धित लक्षण परिलक्षित होने पर तत्काल वाररूम / कन्ट्रोल रूम (01374–222722, 226126, 222641) को सूचना उपलब्ध करायेंगे। ताकि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना के दृष्टिगत पुनः जांच की जा सके।

क्रमशः.........2

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	संस्थान का नाम	कुल बैड की संख्या	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नम्बर	नोडल चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर
8	जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर, पुरोला।	110	श्री उपेन्द्र राणा, रा0उप निरीक्षक, देवढुंग–7500048622	डॉ0 विकास सेमवाल, चिकित्साधिकारी, सी0एच0सी पुरोला–9873892901
9	कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्रावास, चिन्यालीसौड।	25	श्रीमती सुचिता पंवार ,वार्डन, छात्रावास–7500431503	डॉ0 विनोद कुकरेती, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामु.स्वा0केन्द्र0 चिन्यालीसौड–9412346758

नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी उक्त समस्त कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण करते हुये कोविड केयर सेन्टर हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ0 आशीष चौहान),
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या– 856 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 30 मई 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उपरोक्त अधिकारियों/चिकित्साधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (CoVID-19) को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कोविड–19 संक्रमण के Mild तथा Moderate लक्षण वाले अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को कोविड केयर सेन्टर में रखे जाने के निर्देश है। जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संस्थानों को कोविड केयर सेन्टर नामित किया जाता है। **मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी जनपद के समस्त कोविड केयर सेन्टर हेतु नोडल अधिकारी होंगे।**

क्रं.सं.	संस्थान का नाम	कुल बेड की संख्या	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नम्बर	नोडल चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर
1	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह, उत्तरकाशी।	75	अभिषेक तिवारी, अवर सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी–8057890953	डॉ0 शैलेन्द्र विजल्वाण, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। 8057890953
2	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह, मनेरी।	30	श्री उमाशंकर अवर अभियन्ता,उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, मनेरी	डॉ0 करिश्मा एस0ए0डी0 मनेरी– 9917452936
3	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह, हर्षिल।	30	श्री तकदीर, अवर अभियन्ता, लो0नि0वि0 भटवाडी–9897987698	डॉ0 नवनीत विष्ट, चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, हर्षिल–7078115260
4	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह बड़कोट।	70	श्री अंकित नौटियाल, सहायक अभियन्ता, रा0रा0मार्ग खण्ड बडकोट।	श्री अंगद राणा चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0 8393999161
5	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह, पुरोला।	20	श्री शीशपाल असवाल, सुपर वाईजर कानूनगो, पुरोला।	डॉ पंकज, चिकित्साधिकारी, सी0एच0सी0 पुरोला–7455074955
6	गढ़वाल मण्डल पर्यटन आवास गृह, सांकरी तहसील मोरी।	20	श्री बी0एल0शाह, रजिस्ट्रर कानुनगो, मोरी–7579110434	डॉ0 फराज खान, चिकित्साधिकारी, पी0एच0सी0मोरी–9193633738
7	बौन इन्जनीरिंग कॉलेज, बौन, तहसील डुण्डा।	100	श्री विवेक पच्छमी, व्याख्याता, रा0 पोली0 उत्तरकाशी–9720842513	डॉ0 गुमान सिंह भण्डारी, रा0आ0चि0 बरसाली–9458123128

क्रमशः........2

Scanned with CamScanner